ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

आजीविका AAJEEVIKA

NAYI CHETNA
Pahal Badlaav Ki

२०२३

डे-एन आर एल एम के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान का आकलन

एक रिपोर्ट

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD Leveraging Evidence for Access and Development
KREA UNIVERSITY

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

सत्यमेव जयते

MESSAGE

The Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) stands resolute in its mission to alleviate poverty through economic and social empowerment. The cornerstone of our mission is the creation of robust institutions led by impoverished women in rural areas, providing them the means to seize economic opportunities and overcome challenges that hinder a dignified life.

In line with this vision, DAY-NRLM launched the 'Nayi Chetna-Pahal Badlav Ki' campaign, a month-long, community-based nationwide initiative against gender discrimination and gender-based violence (GBV). This campaign, initiated from 25th November to 23rd December, 2022, represents a strategic effort to combat gender inequality and bolster the capacity of women from economically disadvantaged and marginalized communities. Our objective was to equip them with the ability to identify various forms of gender-based violence, acknowledge its existence, raise their voices against it, and stand united with those facing such adversity.

This report presents a meticulous assessment of the 'Nayi Chetna-Pahal Badlav Ki' campaign across 10 states. It underscores the diligent efforts made by various states and line ministries, both at the national and state levels, to effectively reach grassroots communities during this national campaign. One of the key findings reveals that a remarkable number of people, representing diverse sections of society, actively participated in over 5,85,897 activities conducted nationwide during the campaign, emphasizing the extensive reach and influence of the initiative.

I extend my heartfelt congratulations to the team of DAY-NRLM for the publication of this insightful report. I firmly believe that the strategies and collaborative initiatives shared herein will assist states in engaging with diverse stakeholders during this annual national campaign. Through intensified efforts and heightened awareness, we aim to sensitize and involve various segments of the population in the States and Union Territories in the years to come.

(GIRIRAJ SINGH)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

साध्वी निरंजन ज्योति
SADHVI NIRANJAN JYOTI

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

MINISTER OF STATE FOR
CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION &
RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रिय मित्रों,

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) व्यापक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए एक दृढ़ समर्पण का प्रतीक है। इस समर्पण के केंद्र में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के नेतृत्व में लचीली संस्थाओं की स्थापना है, जो उन्हें आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और सम्मानजनक जीवन में बाधा डालने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है।

DAY-NRLM की सक्रिय पहल, **'नयी चेतना-पहल बदलाव की'** अभियान, इस उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ एक महीने तक चलने वाले समुदाय-आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य लैंगिक असमानता का मुकाबला करना था। इसमें आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई, ताकि वे लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान कर सकें और इसके खिलाफ खड़ी हो सकें। अभियान का प्रभाव गहरा था, प्रमुख निष्कर्षों से पता चला कि 3,51,76,492 लोगों ने अभियान में भाग लिया, जो इस महत्वपूर्ण पहल की राष्ट्रव्यापी प्रतिध्वनि को रेखांकित करता है।

यह रिपोर्ट 10 राज्यों में **'नयी चेतना-पहल बदलाव की'** अभियान का सूक्ष्म मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, जिसमें इस अभियान के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यों और सहयोगी मंत्रालयों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने में अभियान की सफलता का प्रमाण हैं, जिसमें ग्रामीण भारत में सभी आयु के पुरुषों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

इस ज्ञानवर्धक रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए DAY-NRLM को मेरी हार्दिक बधाई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यहां साझा की गई रणनीतियां और सहयोगात्मक पहल राज्यों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विविध हितधारकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया जाएगा। सामूहिक प्रयासों और बढ़ी हुई जागरूकता के माध्यम से, हम आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के विभिन्न वर्गों को संवेदनशील बनाने और इसमें शामिल करने के लिए तैयार हैं।

शुभकामनाएँ,

[साध्वी निरंजन ज्योति]

कार्यालय : 197, ई-विंग, कृषि भवन, डॉ0 आर.पी. रोड, नई दिल्ली - 110001
Office : 197, E Wing, Krishi Bhawan, Dr. R.P. Road, New Delhi - 110001
दूरभाष : 011-23388823, 23388859 • फैक्स : 011-23388827
निवास : बंगला नं. 13, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली - 110021
Residence: Bunglow No. 13, New Moti Bagh, New Delhi - 110021
दूरभाष : 011-24105585 • फैक्स : 011-24103228

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

शैलेश कुमार सिंह आई.ए.एस.
सचिव
SHAILESH KUMAR SINGH IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 91-11-23382230, 23384467
Fax : 011-23382408
E-mail : secyrd@nic.in

नवंबर 23, 2023

प्रस्तावना

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन के अपने मिशन में दृढ़ है। इस मिशन के मूल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के नेतृत्व में मजबूत संस्थानों का निर्माण शामिल है, जो उन्हें आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और सम्मानजनक जीवन में बाधा डालने वाली चुनौतियों से उबरने के साधन प्रदान करता है।

इसी क्रम में, DAY-NRLM ने 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान शुरू किया, जो लैंगिक भेदभाव और लिंग-आधारित हिंसा (GBV) के खिलाफ एक महीने तक चलने वाली समुदाय-आधारित राष्ट्रव्यापी पहल है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक यह अभियान लैंगिक असमानता से निपटने के रणनीतिक प्रयास का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान करने और इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए सशक्त बनाना था। रिपोर्ट ने एक प्रमुख निष्कर्ष का खुलासा किया: अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 69,95,181 लोगों ने शपथ समारोह में भाग लिया, जो इस महत्वपूर्ण अभियान के जबरदस्त प्रभाव और पहुंच को दर्शाता है।

यह रिपोर्ट 10 राज्यों में 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान का सावधानीपूर्वक आकलन करती है, इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यों और उप-मंत्रालयों के सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डालती है। अभियान का प्रभाव समुदायों की व्यापक भागीदारी और जुड़ाव में स्पष्ट है, जिससे लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को बल मिलता है।

इस व्यापक रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए DAY-NRLMएवं IWWAGE को मेरी हार्दिक बधाई। इस रिपोर्ट में उल्लिखित रणनीतियाँ और सहयोगात्मक पहल निस्संदेह राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने में मार्गदर्शन करेंगी। सामूहिक दृढ़ संकल्प और बढ़ी हुई जागरूकता के माध्यम से, हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के विभिन्न वर्गों को संवेदनशील बनाना और इसमें शामिल करना है।

शैलेश सिंह

[शैलेश कुमार सिंह]

चरणजीत सिंह
अपर सचिव
CHARANJIT SINGH
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कक्ष सं. 701, 7वीं मंजिल, एनडीसीसी बिल्डिंग–II
जय सिंह रोड़, जंतर मंतर, नई दिल्ली–110001
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Deptt. of Rural Development
Government of India
Room No. 701, 7th Floor, NDCC Building-II
Jai Singh Road, (Opp. Jantar Mantar)
New Delhi-110001
Tel.: 011-23438012
E-mail: asnrlmoffice@gmail.com

प्रिय हितधारकों,

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की अपनी प्रतिबद्धता पर अग्रसर है। इस प्रतिबद्धता का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के नेतृत्व में सतत संस्थानों की स्थापना करना है, जो उन्हें आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और सम्मानजनक जीवन में बाधा डालने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, आजीविका मिशन ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा (GBV) के खिलाफ एक महीने तक चलने वाली समुदाय-आधारित राष्ट्रव्यापी पहल 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान शुरू किया। यह अभियान लैंगिक असमानता से निपटने और आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं की क्षमता बढ़ाने का एक रणनीतिक प्रयास था। इसका उद्देश्य उन्हें लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान करने, इसके अस्तित्व को स्वीकार करने, इसके खिलाफ आवाज उठाने और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों के साथ एकजुट होने की क्षमता से लैस करना है।

यह रिपोर्ट 10 राज्यों में 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान का गहन मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों को रेखांकित करता है। एक प्रमुख खोज अभियान अवधि के दौरान की गई कई गतिविधियों में समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत से, का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा और वयस्क व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है।

मैं इस ज्ञानवर्धक रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए डीएवाई-एनआरएलएम और आइवेज़ को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यहां साझा की गई रणनीतियां और सहयोगात्मक पहल राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विविध हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त बनाएंगी। गहन प्रयासों और बढ़ी हुई जागरूकता के माध्यम से, हम आने वाले वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के विभिन्न वर्गों को संवेदनशील बनाने और इसमें शामिल करने की आकांक्षा रखते हैं।

सआभार,

[चरणजीत सिंह]

स्मृति शरण
संयुक्त सचिव
SMRITI SHARAN
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
कक्ष सं. 704, 7वीं मंजिल, एनडीसीसी बिल्डिंग–II
जय सिंह रोड़, जंतर मंतर, नई दिल्ली–110001

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Government of India
Room No. 704, 7th Floor, NDCC Building-II
Jai Singh Road, (Opp. Jantar Mantar)
New Delhi-110001
Tel.: 011-23438003
E-mail: smriti.sharan69@gov.in

आदरणीय पाठकों,

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) व्यापक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के प्रति अपने समर्पण में अटल रहा है। इस समर्पण के केंद्र में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के नेतृत्व में मजबूत संस्थानों की स्थापना है, जो उन्हें आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और सम्मानजनक जीवन में बाधा डालने वाली चुनौतियों का सामना करने के साधन प्रदान करती है।

DAY-NRLM की सक्रिय पहल, 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान, इस उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इसे 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) के खिलाफ एक महीने तक चलने वाले समुदाय-आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में शुरू किया गया, इसका रणनीतिक उद्देश्य लैंगिक असमानता का मुकाबला करना था। इसमें आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि वे लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान कर सकें और इसके खिलाफ एकजुट हो सकें। एक उल्लेखनीय जानकारी यह निकल ले आइ कि अभियान के दौरान जमीनी स्तर पर 44,617 से अधिक रंगोली कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो संदेश फैलाने में शामिल रचनात्मकता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

यह रिपोर्ट 10 राज्यों में 'नयी चेतना-पहल बदलाव की' अभियान का सूक्ष्मता से आंकलन करती है। यह इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न राज्यों और अन्य मंत्रालयों के सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने में अभियान की सफलता का एक प्रमाण है, जो लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए निरंतर पहल की आवश्यकता को दर्शाता है।

इस व्यापक रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए DAY-NRLM एवं IWWAGE को मेरी हार्दिक बधाई। इस रिपोर्ट में उल्लिखित रणनीतियाँ और सहयोगात्मक पहल निस्संदेह राज्यों को इस वार्षिक राष्ट्रीय अभियान के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने में मार्गदर्शन करेंगी। हमारा लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में सामूहिक दृढ़ संकल्प और जागरूकता के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न वर्गों और समुदाय से जुड़े लोगों को संवेदनशील बनाना और इस अभियान में शामिल करना।

नमस्कार,
स्मृति शरण
[स्मृति शरण]

विषय-सूची

संक्षिप्त रूपों की सूची

तथ्य पत्र

कार्यकारी सारांश

अध्याय 1:

प्रस्तावना और पद्धति

1.1 राष्ट्रीय जेंडर अभियान का संक्षिप्त विवरण

1.2 आंकलन के उद्देश्य

1.3 आंकलन दृष्टिकोण

1.4 सीमाएं

अध्याय 2:

जेंडर अभियान की** पूर्व**तैयारी

2.1 राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वतैयारी

2.2 राज्य स्तर पर पूर्वतैयारी

अध्याय 3:

अभियान की कार्यान्वयन संबंधी रणनीति

3.1 अभिसरण की रणनीति

3.2 अभियान के विस्तार की रणनीति

3.3 भागीदारीता सम्बन्धी रणनीति

3.3.1 राज्य स्तर पर भागीदारिता की रणनीति

3.3.2 जिला स्तर पर भागीदारिता की रणनीति

3.3.3 खंड स्तर पर भागीदारिता की रणनीति

3.3.4 सीएलएफ स्तर पर भागीदारिता की रणनीति

3.3.5 सामुदायिक स्तर पर भागीदारिता की रणनीति

3.4 सभी जेंडर के लोगों को जोड़ने की रणनीति

3.5 अनुश्रवण की रणनीति

3.6 अभियान के दौरान लागू की गई कुछ अनूठी गतिविधियां

अध्याय 4:

मूल्यांकन के परिणाम

4.1 अभियान का विस्तार क्षेत्र

4.1.1 अभियान की गतिविधियों में अधिकारियों की भागीदारी

4.1.2 संबंधित विभागों के साथ अभिसरण

4.1.3 जिला और ब्लॉक स्तर पर गतिविधियां

4.1.4 ब्लॉक और संकुल स्तरों पर अतिरिक्त गतिविधियां

4.2 अभियान की प्रासंगिकता

4.2.1 समुदाय में लैंगिक मानदंड की विभिन्न अवधारणाएँ

4.2.2 गतिशीलता, सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व

4.2.3 लैंगिक हिंसा की पहचान और जागरूकता

4.3 अभियान की प्रभावशीलता

4.3.1 संदेश जिन्हें व्यवहार में लाने की मंशा से याद रखा गया

4.3.2 निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका

4.3.3 परिवार और पड़ोसियों के बीच चर्चा को प्रोत्साहन

4.3.4 जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) और इसका महत्व

अध्याय 5:

आगे की सीख

5.1 **दूरदर्शिता** और स्वॉट (SWOT) विश्लेषण

5.1.1 अभियान के लिए सहायक कारक

5.1.2 अभियान के लिए चुनौतीपूर्ण कारक

5.1.3 लैंगिक हिंसा के विरुद्ध भावी अभियान संबंधी **सीख**

5.1.4 विकसित साझा-समझ

5.2 भावी अभियानों के लिए अनुशंसा

5.2.1 समुदाय के लिए अनुशंसा

5.2.2 एन°आर°एल°एम° की राज्यस्तरिय इकाइयों के लिए अनुशंसा

5.2.3 एन°आर°एल°एम° की राष्ट्रीय इकाई के लिए अनुशंसा

अनुलग्नक

संक्षिप्त रूपों की सूची	
सीएलएफ	संकुल स्तरीय संघ
सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
डीएवाई-एनआरएलएम	दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एफजीडी	केंद्रित समूह परिचर्चाएं
जीबीवी	लैंगिक हिंसा
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीएलएफ	ग्राम पंचायत स्तरीय संघ
जीआरसी	जेंडर संसाधन केंद्र
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास योजना
आईडीआई	गहन साक्षात्कार
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएमएमयू	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
एसएसी	सामाजिक कार्य समिति
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीओ	ग्राम संगठन
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास

संकेतक	उपलब्धि *(संख्या में)*
एमआईएस डैशबोर्ड - राष्ट्रीय	
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2022 में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या	32
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2022 में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या	5,85,897
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2022 में समुदाय स्तर पर प्रतिभागियों की संख्या	3,51,76,492
राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2022 में भाग लेने वाले संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की संख्या	14
अभियान के दौरान संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियां	2,151
अभियान के दौरान लैंगिक हिंसा के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम	1,00,042
शपथ कार्यक्रमों के दौरान लोगों की भागीदारी	69,95,181
सीएलएफ स्तर	
आयोजित रैलियों की संख्या	1,59,808
रैलियों में कुल जन भागीदारी	25,38,583
जेंडर अभियान के दौरान लैंगिक हिंसा पर आयोजित बैठकें	91,937
आयोजित किए गए *रंगोली* कार्यक्रम	44,617
एसएचजी स्तर	
अभियान के दौरान आयोजित कुल गतिविधियों की संख्या	2,96,099
अभियान में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या	1,49,90,477
एसएचजी सदस्यों के बीच मात्रात्मक ऑनलाइन सर्वेक्षण - राष्ट्रीय	
संकेतक	**महिलाएं**
अभियान से सम्बंधित आयोजित **गतिविधियां की जानकारी**	73%
असहमत उत्तरदाता - 'महिला की तुलना में पुरुष होना बेहतर है'	68%
असहमत उत्तरदाता - 'लड़कों को अधिक अवसर मिलने चाहिए'	70%
अपने पैसे के उपयोग के निर्णय पर स्वयं का नियंत्रण	60%
लैंगिक हिंसा के उपरांत उसके विरुद्ध की जानी वाली औपचारिक कार्रवाई की क्रमवार समझ	
-एसएचजी/वीओ/सीएलएफ सहकर्मियों के साथ साझा करना	45%
-पुलिस/ सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना	32%
-अपने तक रखना/ अनदेखा करना	12%
असहमत उत्तरदाता – 'लैंगिक हिंसा का मुद्दा मेरे समुदाय के लिए <u>प्रासंगिक नहीं</u> है'	61%

स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड और एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण (13 फरवरी, 2023 तक)

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे -एनआरएलएम) अपने लैंगिक कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता के मुद्दों का समाधान करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। लैंगिक **हिंसा** और विशेष रूप से, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा उनके आत्म-विकास, कल्याण और सम्मानजनक जीवन जीने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। डे-एनआरएलएम इस सामाजिक बुराई को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में मानता है। इसलिए इसका उद्देश्य लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है। वंचित समुदायों और महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से उनके ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान करने और उन्हें स्वीकार करने के साथ-साथ इसे दूसरों के साथ साझा करके, और उचित कार्रवाई हेतु सहायता की मांग करने के लिए **25 नवंबर से 23 दिसंबर, 2022 तक** एक वार्षिक अभियान शुरू किया गया था। महिला हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा लिंग आधारित **हिंसा** एवं भेदभाव **का उन्मूलन'** विषय पर **"नई चेतना - पहल बदलाव की"** नामक एक अभियान शुरू किया गया था, जो हर साल मनाया जाएगा । इसे जेंडर पर वार्षिक अभियान के रूप में शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष लैंगिक भेदभाव के मुद्दों से निपटने वाले विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्तमान वर्ष, जो अभियान का पहला वर्ष भी था, का विषय **लिंग आधारित हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त करना** था।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जेंडर अभियान 2022 के तीन व्यापक क्षेत्रों – **पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता** के आधार पर अभियान के **आंकलन**[1] पर आधारित है। इस आंकलन ने अभियान के उन सभी सहायक और बाध्यकारी कारकों को समझने में मदद की, जिसने अभियान को प्रभावित किया हो और साथ ही इससे भावी अभियानों को और अधिक असरदार बनाने की सीख भी मिली ।

गुणात्मक तीव्र मूल्यांकन के दो दौर के निष्कर्षों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के साथ प्रदान किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों यानी राज्य, जिला, ब्लॉक, सीएलएफ और वीओ के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों द्वारा अभियान की गतिविधियों से भी संबंधित है। यह मूल्यांकन प्रतिवेदन 24 राज्यों के लगभग 5,000 सीएलएफ का प्रतिनिधित्व करने वाले 20,000 से अधिक **एसएचजी सदस्यों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सर्वेक्षण** द्वारा संकलित जानकारी एवं उनके विश्लेषण पर आधारित है।

---

[1] *सीएमएस इंडिया (www.cmsindia.org) द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल (आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई) की ओर से आंकलन किया जाता है।*

मुख्य निष्कर्ष

अभियान की पूर्वतैयारी और कार्यान्वयन सम्बंधित **रणनीति**:

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, आंकलन के निष्कर्ष ये दर्शाते हैं कि लैंगिक हिंसा पर अभियान की अवधारणा बनाने और उसे लागू करने के लिए **कारगर एवं सधे हुए प्रारंभिक कदम** उठाए गए हैं। एनआरएलएम-एनएमएमयू टीम की सक्रिय भागीदारी तथा मिशन के राज्य स्तरीय इकाई (एस०एम०एम०यू०) के समन्वय एवं सहयोग से देश भर में जिला, सामुदायिक स्तर एवं ब्लॉकों में कार्यक्रम दलों ने अभियान की संपूर्ण अवधि के लिए सप्ताह-वार विषय और गतिविधियां निर्धारित करके पूरी तैयारी की थी।

- **राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों** के साथ परस्पर सामंजस्य एवं अभिसरण से **14 संबंधित मंत्रालयों/ विभाग** एक साथ आए। पूरी अभियान अवधि के दौरान इनमें सूचना और प्रसारण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शहरी कार्य और आवासन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रतिभाग किया।
- अभियान के प्रचार के भाग के रूप में और देश भर में जनता के बीच अभियान को आम चर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ अभियान के पूरे माह का एक विस्तृत मीडिया योजना तैयार की गई थी। अभियान के दौरान, लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए जनहित हेतु संदेश अख़बारों, रेडियो, टी०वी० आदि संचार माध्यमों तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के आधिकारिक हैंडल से लेख, कविता, टॉक शो, आदि के माध्यम से नियमित रूप से ज़ारी किए गए।
- राज्यों में, अभियान का अधिकतम प्रचार करने के लिए, राज्य मुख्यालय से लेकर गांव एवं शहरों में सामुदायिक स्तर तक, विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क किया गया।
- प्रतिवेदन में अभियान के दौरान उन विशेष पहलों का भी उल्लेख किया गया है जो लैंगिक हिंसा के **स्थानीय रूप से प्रासंगिक** मुद्दों को ध्यान में रख कर लिए गए थे ताकि आम जन **समुदाय अपने आप को अभियान से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सके।**
- अभियान में शामिल विषयों के अनुरूप विभिन्न हितधारकों और विशेष रूप से सामुदायिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके आसपास हो रही लैंगिक हिंसा की किसी भी घटना के खिलाफ लोग जागरूक हो पाएँ, खुलकर बोल सकें, सहायता की माँग कर सकें तथा तथा प्रभावित व्यक्ति के साथ एकजुटता दिखा सकें।

अभियान का भुगौलिक विस्तार एवं पहुँच :

- आंकलन के दौरान राज्य स्तर से सामुदायिक स्तर तक, विभिन्न संस्थानों में परस्पर सामंजस्य और विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की भागीदारी पाई गई।
- अभियान के विभिन्न चरणों के दौरान सरकारी अधिकारियों, एसआरएलएम के अधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता, महिला और पुरुष, वृद्ध और युवाओं की भागीदारी के साथ **अंतिम व्यक्ति तक अभियान को पहुंचाया गया** और हितधारक जोड़े गए। कुछ राज्यों में, ट्रांसजेंडर ने भी अभियान में भाग लिया, जिससे अभियान के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ।
  - हालांकि, **हरियाणा और हिमाचल प्रदेश** जैसे कुछ राज्यों में **चुनाव के कारण** अभियान देर से शुरू हुआ परंतु एक महीने की अवधि पूरी कर जनवरी, 2023 तक जारी रहा।
  - एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि उनके समुदाय में चलाए जा रहे **अभियान** और इसकी गतिविधियों के बारे में **उनमें से लगभग तीन-चौथाई** लोगों को पता था।
- राज्यों से लेकर एसएचजी/ग्राम स्तर तक, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। एमआईएस के अनुसार, देश भर में अभियान के दौरान **लगभग छह (06) लाख गतिविधियां** आयोजित की गईं और **3.5 करोड़ (35 मिलियन) से अधिक** लोगों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। विशेष रूप से वंचित और कमजोर आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित अधिकांश गतिविधियां और भागीदारी एसएचजी/वीओ अर्थात् गाँव के टोले मोहल्ले स्तर पर आयोजित की गईं।
- ग्राम और सामुदायिक स्तर पर अधिकतम भागीदारी के उद्देश्य से **अभियान के सभी चार हफ़्तों में कुछ गतिविधियां जैसे रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम और रंगोली बनाने** के कार्यक्रम एक से अधिक बार किए गए।

- 25 लाख से अधिक लोगों (2.5 मिलियन) ने रैलियों में भाग लिया और 63 लाख (6.3 मिलियन) से अधिक लोगों ने लिंग आधारित हिंसा एवं भेदभाव के विरुद्ध शपथ ली।

- चौदह (14) संबंधित मंत्रालयों/ विभागों ने लगभग 4,000 से भी अधिक गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से लॉन्च गतिविधियों में भागीदारी, सामुदायिक स्तर पर, स्कूलों में, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच विस्तार कार्यक्रम आदि शामिल थी ।
- ग्रामीण समुदाय को लैंगिक हिंसा और संबंधित मुद्दों के खिलाफ चर्चा करने और बोलने का अवसर देने के लिए तथा लैंगिक हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को उचित संरक्षण एवं सहायता हेतु देश के 13 राज्यों में अभियान के दौरान 165 जीआरसी खोले गए।

अभियान की प्रासंगिकता:

- अभियान के दौरान, समुदाय के लोगों, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने स्वीकारा कि समाज में लैंगिक असंवेदनशीलता व्यापक रूप से मौजूद है तथा स्त्री एवं पुरुषों के लिए अलग अलग मानदंड निर्धारित हैं, जिससे लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा की घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिला है।
  - ऑनलाइन सर्वेक्षण में, अधिकांश एसएचजी सदस्यों (61%) ने सहमति व्यक्त की कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान उनके समुदाय के लिए प्रासंगिक है।
- सभी हितधारकों, एसआरएलएम के कार्यक्रम अधिकारियों और पदाधिकारियों से लेकर समुदाय के सदस्यों, महिलाओं और पुरुषों दोनों ने पाया कि यह अभियान बहुत अधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह समाज में व्याप्त लैंगिक हिंसा और उससे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। उन्होंने इसे विभिन्न प्रकार के लैंगिक हिंसा एवं भेदभाव के बारे में जागरूक करने, लोगों को संवेदनशील बनाने और उनके परिवारों तथा समाज से लैंगिक हिंसा को समाप्त करने की दिशा में समय पर उठाया गया एक ठोस कदम माना।
- इसके अलावा, अभियान ने विभिन्न प्रासंगिक और संबंधित-मुद्दों पर चर्चा शुरू की है, जैसे लैंगिक समानता; दहेज प्रथा, नशापान, डायन कुप्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां; उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों और महिलाओं का महत्व, आदि। वास्तव में, अभियान के दौरान कई राज्यों में लैंगिक हिंसा या संबंधित मुद्दों की घटनाओं के खिलाफ सामुदायिक स्तर पर कार्रवाई किए जाने के उदाहरण सामने आए। इससे पता चलता है कि लोग अपनी बात कह रहे हैं, जो अभियान के मुख्य घटकों में से एक है।
  - ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल एसएचजी सदस्यों में से लगभग 60% किसी भी परिस्थिति में 'पति द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई' से असहमत थे।

अभियान की प्रभावशीलता: अभियान की प्रभावशीलता को मापने का आधार यह था कि समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता के कारण कितनी कार्रवाई की गयी या कार्रवाई करने का इरादा दिखाया गया।

- अभियान प्रभावी था क्योंकि समुदाय के सदस्यों ने अभियान के दौरान तथा अभियान पश्चात् आंकलन दौर में भी दिए गए संदेशों को भली-भांति याद रखा। आंकलन के दौरान आयोजित चर्चा में महिला, लड़कियां, पुरुष व लड़के प्रतिभागियों को अभियान के प्रमुख संदेश जैसे 'पुरुषों और महिलाओं के अधिकार समान हैं'; 'बेटी और बहू एक समान हैं'; 'चुप्पी तोड़ें और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं', आदि तथा कई अन्य संदेश बख़ूबी याद थे।
- यह उत्साहजनक था कि अभियान के दौरान आयोजित गतिविधियों में विभिन्न हितधारकों द्वारा वृद्ध और युवा दोनों तरह के पुरूषों की भागीदारी देखी गई और उसे रिपोर्ट किया गया। सभी राज्यों में पुरुषों ने लैंगिक हिंसा की व्यापकता और समाज में इससे जुड़े मुद्दों की सच्चाई को स्वीकार किया।
- लगभग सभी प्रतिभागियों ने, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, दृढ़तापूर्वक यह महसूस किया कि समुदाय को लैंगिक हिंसा की हर घटना के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने यह माना कि लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में तत्काल प्रभाव से कार्य करने की जरूरत है क्योंकि यही भेदभाव आगे चल के लैंगिक हिंसा का कारण बनते हैं। यह इस बात का परिचायक है कि समुदाय के लोग समाज में हो रही लैंगिक हिंसा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इसके अलावा, इस अभियान ने परिवार और पड़ोसियों के बीच और अन्यत्र भी इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को हवा दे दी है। स्कूली छात्र–छात्राओं ने भी अपने साथियों के साथ लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर गम्भीरता से बात की। इसी तरह, कुछ राज्यों में शिक्षकों ने भी आगे बढ़ कर अपने साथी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ अभियान के मुख्य संदेश साझा किए।

अभियान के लिए सहायक कारक

- मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ साथ राज्य स्तर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ।
- समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जन-साधारण का अभियान के प्रति समर्थन एवं उत्साह दिखाया तथा सभी उम्र एवं वर्गों के स्त्री-पुरूषों ने अभियान में सक्रिय भागीदारी की । अभियान के दौरान समुदाय के पुरुष सदस्यों के सहयोग और विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी ने उल्लेखनीय थी।
- विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सामंजस्य और सहयोग ने अभियान के दौरान शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों को चिर-अपेक्षित पारदर्शिता और गति प्रदान की। अभियान गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनके अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग भी देखा गया।

अभियान के लिए चुनौतीपूर्ण कारक

- अभियान की पूर्व तैयारी के लिए और अधिक समय देने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया जा सके; अभियान की गतिविधि एवं इससे सम्बन्धित जनहित के संदेशों एवं प्रचार सामग्री को प्रासंगिक बनाया जा सके और एम°आई°एस° की टीम के सदस्यों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जा सके।
- अभियान के उपरांत की जाने वाली गतिविधियां एवं अनुवर्ती कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया था। इस कारण से समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए लैंगिक हिंसा की घटनाओं को साझा करने और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सहायक और अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु चुनौती का सामना करना पड़ा।

लैंगिक हिंसा के विरुद्ध आयोजित होने वाली भावी अभियानों के लिए सीख

आगामी वर्षों में जेंडर अभियान को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाए गए उपायों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है अ) लैंगिक हिंसा के रोकथाम की गतिविधियों और ब) उचित जवाबी कार्रवाई के रूप में । इन उपायों को विस्तृत रूप से नीचे दर्शाया गया है :-

क. 'रोकथाम की गतिविधियों' में लैंगिक हिंसा की घटनाओं को न होने देने के पूर्ववर्ती उपाय अनुशंसित हैं।

- राज्य से समुदाय तक के सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार की लैंगिक हिंसा और परस्पर जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बनाए रखने के लिए अभियान के **बाद भी जागरूकता सम्बन्धी गतिविधि** निय**मित रूप से** की जाएं, और साथ ही कानूनों/ अधिनियमों के बारे में जानकारी देने और सहायता के लिए उपयुक्त प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया जाए।
- लैंगिक हिंसा के प्रकार और संबंधित मुद्दों को उजागर करने की गतिविधियों में **सभी वर्गों के लोग** (ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन) और **आयु के लोग** विशेष रूप से किशोर और युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- नागरिक संगठन एवं सामुदायिक संस्थानों के सहयोग से **ग्राम/ खंड स्तर के स्कूल एवं कॉलेजों में लैंगिक हिंसा पर नियमित कार्यक्रम आयोजित करना**।
- पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय के सदस्यों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, धार्मिक और पंथ नेताओं, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को लंगिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु सम्पर्क के प्रथम बिंदु के रूप में प्रशिक्षित करना ताकि ये ज़मीन पर घटनाओं पर नजर रख सकें और आवश्यकतानुसार समय रहते उचित सहायता पाएँ।
- लैंगिक हिंसा पर सतत रूप से नियमित जागरूकता गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु **संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ अभिसरण।**
- जेंडर संसाधन केंद्र लैंगिक हिंसा सहित जेंडर संबंधी मुद्दों पर समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रयास करते हैं। जीआरसी के खुलने से समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से महिलाएं को अन्य मुद्दों के साथ-साथ लैंगिक हिंसा पर चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा जिस पर समाज में बातचीत करना या तो मना है अथवा लोगों को वैसे मुद्दों पर खुल कर बोलने में संकोच होती है।

ख. 'जवाबी उपाय' लैंगिक हिंसा की घटनाओं के उपरांत समाधान करने के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने पर केंद्रित है

- संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ नियमित रूप से जुड़कर **लैंगिक हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय सहायता प्रणाली की स्थापना करना**।
- **लैंगिक हिंसा से पीड़ित लोगों के समर्थन में खड़े होना और** लैंगिक हिंसा और इसके अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए **एक मंच प्रदान करना**।

- एसएचजी सदस्यों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जोड़ना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर लैंगिक हिंसा के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु इनकी सहायता ले सकें।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ की गई गतिविधियों का एक डेटाबेस रखने के साथ-साथ लैंगिक हिंसा की रिपोर्ट की गई घटनाओं और कार्रवाई की गई रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति बनाए रखने के लिए एक सक्रिय एमआईएस डैशबोर्ड प्रदान करना।
- किसी शासकीय उच्च पदाधिकारी को पंजीकृत मामलों के अनुश्रवण, अनुवर्ती कार्रवाई तथा हर मामले में कारवाई की प्रगति की निगरानी करने हेतु नामित करना।

।

अध्याय 1

प्रस्तावना और पद्धति

1.1 राष्ट्रीय जेंडर अभियान का संक्षिप्त विवरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे -एनआरएलएम) अपने लैंगिक कार्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता के मुद्दों का समाधान करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। जेंडर को संस्थागत प्रणाली से जोड़ना और अपने सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से जेंडर असमानता को पहचानने और उसका समाधान करने में समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाना, आदि इस कार्यक्रम के मुख्य प्रयास हैं। इन गतिविधियों के कार्यान्वयन के अनुभवों में लिंग आधारित हिंसा अक्सर चिंता का मुख्य विषय बनकर उभरती है। महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध लैंगिक हिंसा एवं भेदभाव उनके प्रगति, आत्म-विकास, और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उनके अधिकार के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

डे -एनआरएलएम इस सामाजिक बुराई को व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा मानता है और इसलिए इसका उद्देश्य लैंगिक हिंसा के उन्मूलन का करना है। इसलिए महिलाओं, पुरुषों और लैंगिक विविधता वाले व्यक्तियों[2] द्वारा विभिन्न रूपों में सामना की जा रही लैंगिक हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय जेंडर अभियान का लोगो

लैंगिक हिंसा एक वैश्विक महामारी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला ने अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। भारत में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटा, 2021, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की व्यापक वृद्धि का संकेत देता है, जो 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गई । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जो रोजाना औसतन 86 मामले हैं, जिसमें 2020 से 28,046 मामलों में वृद्धि हुई, जबकि 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएफएस-5), 2019-21 के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग की लगभग 30% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार लैंगिक हिंसा का सामना किया है, जबकि 77 प्रतिशत महिलाओं ने उन पर हुई हिंसा को लेकर कभी किसी से सहायता नहीं मांगी।

डे- एनआरएलएम वंचित समुदायों और महिलाओं से सम्बंधित मुद्दों को मुख्यधारा में लाने और उनका समाधान करने के कई संस्थागत प्रयास करता है। विभागीय स्तर पर, अपने सभी विभागों के कार्यक्रमों को लैंगिक-समानता की कसौटी पर कसना तथा सामुदायिक स्तर पर, लिंग आधारित मुद्दे जैसे हिंसा, भेदभाव, आदि के नियमित सम्बोधन हेतु सामुदायिक संस्थाओं में एक संस्थागत व्यवस्था का निर्माण करना एवं आवश्यक क्षमता वर्धन करना इन्हीं प्रयासों में से एक है। वंचित समुदायों और महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करने, विशेष रूप से उनके द्वारा सामना की जा रही हिंसा के विभिन्न रूपों की पहचान करने और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने, दूसरों के साथ इसे साझा करने, और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहायता की मांग करने के उद्देश्य से, 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक एक अभियान चलाया गया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 'लैंगिक हिंसा का उन्मूलन' विषय के साथ "नई चेतना - पहल बदलाव की" नामक अभियान शुरू किया गया। इसे जेंडर पर वार्षिक अभियान के रूप में शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष लैंगिक समानता से सम्बंधित विषयों

---

[2] *गुप्ता, उर्वी, भारत में लैंगिक हिंसा और भेदभाव - महिला और ट्रांसजेंडर (14 सितंबर, 2021)। एसएसआरएन पर उपलब्ध: https://ssrn.com/abstract=3923340 या http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3923340*

में से किसी एक विशिष्ट विषय को केंद्र में रख कर चलाया जाएगा। इस प्रयास से देश भर में लैंगिक हिंसा के उन्मूलन के लिए महिलाओं के समूह, राज्यों और सेवा प्रदाताओं के एक साथ आने के बहुतेरे अवसर प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय जेंडर अभियान का उद्घाटन

1.2 आंकलन के उद्देश्य

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तीन प्रमुख आयाम-पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता पर अभियान के आंकलन पर आधारित है। इस आंकलन ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान को प्रभावित अथवा दुष्प्रभावित करने वाले पूरक-अपूरक कारकों पर भी प्रकाश डाला और साथ ही इससे भावी अभियानों को और अधिक सफल बनाने की सीख भी मिली।

विशेष रूप से, आंकलन के निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

लैंगिक हिंसा पर राष्ट्रीय जेंडर अभियान की पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को समझना

राष्ट्रीय जेंडर अभियान को प्रभावित करने वाले सहायक और बाध्यकारी कारकों की पहचान करना

भावी अभियानों को और अधिक सफल बनाने हेतु सम्भावित अवसरों एवं सीख का विश्लेषण

1.3 आंकलन का दृष्टिकोण

गुणात्मक आंकलन सेवा प्रदाताओं और समुदाय के सदस्यों के साथ **ऑनलाइन और व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा समूह चर्चा** द्वारा किए गए त्वरित मूल्यांकन के दो दौरों (अभियान के दौरान और बाद में) पर आधारित है।

दोनों दौरों में प्राथमिक डेटा संग्रह 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से किया गया था। प्रत्येक अध्ययन में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, दो जिलों का चयन किया गया और प्रत्येक जिले में, दो गांवों को आंकलन के लिए चुना गया था। अभियान अवधि में सक्रिय भागीदारी के आधार पर एनएमएमयू टीम के परामर्श से राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और गांवों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया था। *(स्थान विवरण अनुलग्नक में संलग्न)।*

गुणात्मक तीव्र मूल्यांकन के दो दौर के निष्कर्षों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर उपलब्ध संख्यात्मक जानकारी के साथ प्रदान किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों यानी राज्य, जिला, ब्लॉक, सीएलएफ और वीओ के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों द्वारा अभियान की गतिविधियों से भी संबंधित है।

एमआईएस पर राष्ट्रीय स्तर पर, संख्यात्मक जानकारी हेतु एसएचजी सदस्यों के सर्वेक्षण के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म अपलोड किया गया था, और इसे सीएलएफ स्तर पर नोडल व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया था। 24 राज्यों में, 4,700 से अधिक सीएलएफ ने स्वैच्छिक सहमति और 20,000 से अधिक एसएचजी सदस्यों की भागीदारी के साथ एसएचजी सदस्यों के बीच सर्वेक्षण किया गया। यह प्रतिवेदन 10 राज्यों में किए गए गुणात्मक आंकलन के साथ संख्यात्मक ऑनलाइन सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है।

चित्र 1: गुणात्मक आंकलन के लिए अध्ययन किए गए राज्य

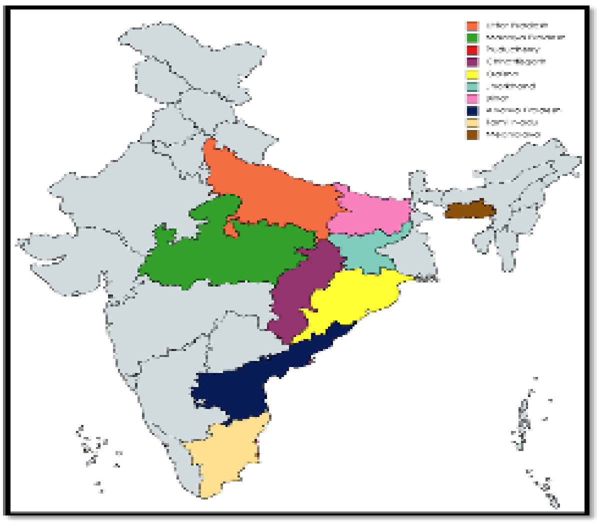

मूल्यांकन दल का प्रशिक्षण: डेटा संग्रह शुरू करने से पहले, दिसंबर 2022 के तीसरे सप्ताह में अध्ययन दल के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में विकसित मूल्यांकन का मसौदा, सामूहिक चर्चा के लिए दिशानिर्देश के साथ-साथ नैतिक सिद्धांतों - *क्या करें* और *क्या न करें* के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

दस राज्यों में मूल्यांकन के दो दौर की जानकारियों का संग्रह दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह और जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में क्रमशः किया गया था।

1.4 सीमाएं

त्वरित आंकलन के दो दौर और मात्र दस राज्यों के चयनित स्थानों के मूल्यांकन के आधार पर सृजित इन परिणामों को सामान्य रूप से पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेंडर अभियान गतिविधियां अन्य राज्यों में भिन्न हो सकती हैं।

ऑनलाइन सर्वेक्षण में सीएलएफ और महिला एसएचजी सदस्यों की भागीदारी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। प्राप्त नमूनों में भारी अंतर होने के कारण राज्य-वार तुलना नहीं की गई है।

अध्याय 2
जेंडर अभियान की पूर्वतैयारी

वर्तमान अध्याय लैंगिक हिंसा पर राष्ट्रीय जेंडर अभियान के शुरू होने से पहले उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डालता है। यह अभियान के शुरू होने से पहले की गई तैयारी के साथ-साथ राज्य एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ किए गए समन्वय के प्रयासों को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन गतिविधियों की योजना राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तहत बनाई गई है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, अन्य सहयोगी मंत्रालयों एवं उनकी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, आजीविका मिशन की राष्ट्रीय इकाई एवं विभिन्न राज्यों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी जानकारियों एवं सुझाव को राष्ट्रीय जेंडर अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान विभिन्न स्तरों पर हुई प्रक्रिया और योजना को समझने के लिए एकत्रित किया गया।

2.1 एनएमएमयू स्तर पर तैयारी

प्रारंभिक चरण के दौरान, अभियान के चार प्रमुख घटकों, *'विशेष रूप से स्वीकारना', 'आवाज उठाना', 'सहायता मांगना' और एकजुटता दिखाना'*, के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य रूप से 'परामर्शी और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं', 'जागरूकता पैदा करने वाली बैठकें', 'प्रतिज्ञा लेने वाले कार्यक्रम', 'रैलियां', 'ऑडियो-वीडियो शो', 'मास और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार संदेश' आदि गतिविधियाँ विभिन्न स्तर पर चिन्हित की गयीं थीं। इनके अलावा अभियान के चारों सप्ताह के लिए अलग स्तरों-राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड, पंचायत, संकुल एवं गाँव स्तर पर अलग अलग गतिविधियां आयोजित करने की भी योजना बनाई गई थी।

ये घटक किसी क्रम में नहीं सजे हैं, बल्कि ये तो एक साथ होने वाली कई क्रियाओं और प्रक्रियाओं की तरफ़ इंगित करते हैं जो लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और जो डे-एनआरएलएम को अगले पाँच वर्षों तक इस वार्षिक अभियान क्रियान्वित करने में तथा उसके अनुसार समूह संगठनों की क्षमतावर्धन में मार्गदर्शन देते रहेंगे। ये विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित ढाँचागत एवं व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु प्रमुख संदेश को सम्प्रेषित करने की रणनीति की भी जानकारी देते हैं। मोटे तौर पर, अभियान के आने वाले वर्षों में, उस वर्ष के विषय के अनुरूप ही इन घटकों के तहत कार्रवाई और योजनाओं को अनुकूलित किया जाएगा। अभियान के इस प्रथम वर्ष का विषय लैंगिक भेदभाव और लैंगिक हिंसा को समाप्त करना है।

चित्र 2: अभियान के मुख्य घटक

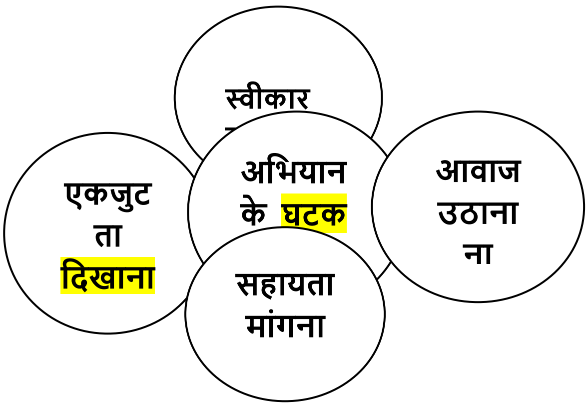

हिंसा के मुद्दों पर कार्रवाई करने की दिशा में पहले कदम के रूप में, एनआरएलएम का उद्देश्य महिलाओं और वंचित लोगों द्वारा परिवार, समाज, संस्था अथवा कार्यस्थलों में सामना किए जाने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों को पहचानना और उस हिंसा के अस्तित्व की हक़ीक़त को स्वीकार करवाना है। एक बार लोग हिंसा की मौजूदगी को मान लें तो फिर दूसरा कदम इस तरह की लैंगिक हिंसा को सम्बोधित करने हेतु आवाज़ उठाना, हिंसा के घटना की जानकारी साझा करना और अन्याय के खिलाफ सहायता मांगना था। इन्हीं दो घटकों को ध्यान में रखते हुए, एकजुटता के लोकाचार से बंधे संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध सामूहिक समर्थन पर भरोसा बनाए रखने के लिए अभियान की रूपरेखा विकसित की गई थी।

अभियान की योजना के प्रारंभिक चरण के दौरान, एनएनएमयू टीम ने सभी राज्यों तथा विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इन बैठकों का उद्देश्य अभियान और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में सूचना देना; विभिन्न हितधारकों को जोड़ना; और रिपोर्टिंग प्रणाली से परिचित कराना था। अभियान पर पत्र के अलावा सभी संबंधित मंत्रालयों, एनसीडब्ल्यू, नीति आयोग, और एनएलएसए को एक अवधारणा नोट भेजा गया था और उनसे सहयोग सुनिश्चित करने हेतु एक साझा समझौता तैयार किया गया। इसके अलावा, राज्यों को जेंडर संसाधन केंद्रों (जीआरसी) के गठन तथा इस दिशा में अपेक्षित सहयोग की माँग रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) द्वारा उठाए गए कदमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन चरणों में वर्गीकृत किया गया है:

चित्र 3: एनएमएमयू स्तर पर तैयारी

अभियान से सम्बंधित निम्नलिखित को जानकारी	विकास	सोशल मीडिया के माध्यम से सम्प्रेषण
• राज्य और सहयोगी नागरिक संगठन • बीएमएमयू और सीएलएफ • एमआईएस पर राज्य और संबंधित मंत्रालय • एनएमएमयू के सभी कार्य विभाग	• सभी हितधारकों द्वारा सोशल मीडिया योजना का विस्तार करना • अभियान का नारा, अभियान के रंग, लोगो/अन्य ब्रांडिंग और अभियान फिल्म सहित दृश्यता पहचान • सहायता पैकेज – पत्रक, इश्तहार, पोस्टर और पुस्तिकाएं • एमआईएस/ अनुश्रवण और मूल्यांकन की रूपरेखा	• समर्पित हैशटैग, ब्रांडिंग आदि के साथ अभियान के लिए सोशल मीडिया पेज बनाना। • डीएवाई-एनआरएलएम के ट्विटर/ फेसबुक हैंडल से पोस्ट किए जाने वाले प्रमुख संदेशों के साथ रचनात्मकता। • व्हाट्सएप पर साझा किए जाने वाले प्रमुख संदेश की रचनाएँ । • अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया एजेंसियों में सम्बन्ध बनाना • जागरूकता अभियान के लिए रेडियो चैनलों को शामिल करना

2.2 एसआरएलएम स्तर पर तैयारी

इसके अलावा, एनएमएमयू स्तर से दिशानिर्देश और पत्र उपर्युक्त गतिविधियों की सूची को संलग्न कर सभी राज्यों और सभी संबंधित मंत्रालयों को भेजे गए थे ताकि उन्हें अभियान और संबंधित गतिविधियों के दौरान प्रतिबद्धताओं पर हुए साझा समझौते के बारे में अवगत कराया जा सके। अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर कार्य-योजना बनाई गई और तत्पश्चात् उस पर कार्रवाई की गई।

ऐसी ही एक बैठक के दौरान मूल्यांकन टीम ने पाया कि विभिन्न संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी इस अभियान को लेकर ख़ासे उनसहित थे और और राष्ट्रीय जेंडर अभियान को सफल बनाने हेतु देने बहुमूल्य सुझाव दे रहे थे।

चित्र 4: एसआरएलएम स्तर पर तैयारी – समग्र

राज्य स्तर	जिला स्तर	ब्लॉक और सीएलएफ स्तर
• परिचय और परामर्श कार्यशाला • विभिन्न संबंधित विभागों के साथ राज्य स्तरीय प्रमुख समिति का गठन • अभियान के शुभारंभ के लिए प्रारंभिक गतिविधियां - टीम के साथ आभासी बैठकें • संबंधित राज्यों द्वारा आईईसी सामग्री का रूपांतरण • जिलों और ब्लॉकों को संसाधन सामग्री का प्रसार • जिला, ब्लॉक और सीएलएफ अधिकारियों के लिए एमआईएस पर आभासी प्रशिक्षण सत्र • जीपी, जीपीएलपी, एनयूएलएम जैसे विभिन्न स्तरों के लिए गतिविधि कैलेंडर का विकास।	• परिचय और परामर्श कार्यशाला • पुलिस विभाग, विधि प्राधिकारियों, आईसीडीएस, समाज कल्याण विभाग, आदि जैसे संबंधित विभागों के साथ योजना और समन्वय समिति का गठन। • नियोजित साप्ताहिक गतिविधियों के संचालन के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करना • लैंगिक हिंसा पर स्टाफ को जानकारी प्रदान करना • सीएलएफ सदस्यों और एसएसी सदस्यों के साथ जेंडर लर्निंग कैंप	अभियान के उद्देश्यों के बारे में ब्लॉक और सीएलएफ अधिकारियों को जानकारी देने के लिए परिचय बैठकें आयोजित की गईं • अभियान के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए ग्राम स्तर पर पीआरआई सदस्यों को शामिल करना • प्रत्येक ब्लॉक और सीएलएफ स्तर पर प्रतिनिधियों का चयन किया गया • सीएलएफ ने जेंडर समस्या से निपटने के लिए एसएचजी सदस्यों में से एक जेंडर संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया और उसे अभियान के उद्देश्यों और लाभों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया

स्रोत: भारत के 10 राज्यों से गुणात्मक आंकलन डेटा

अध्याय 3

अभियान की कार्यान्वयन रणनीति

अभियान में भाग लेने के लिए अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जेंडर अभियान को 'जन आंदोलन' के रूप में देखा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान दूर-दराज के क्षेत्रों तथा वंचित और असुरक्षित आबादी तक पहुंचे, अभियान की सफलता के लिए एक कार्यान्वयन रणनीति बनाई गई थी।

चित्र 5: एनआरएलएम के कार्यक्षेत्र का विस्तार

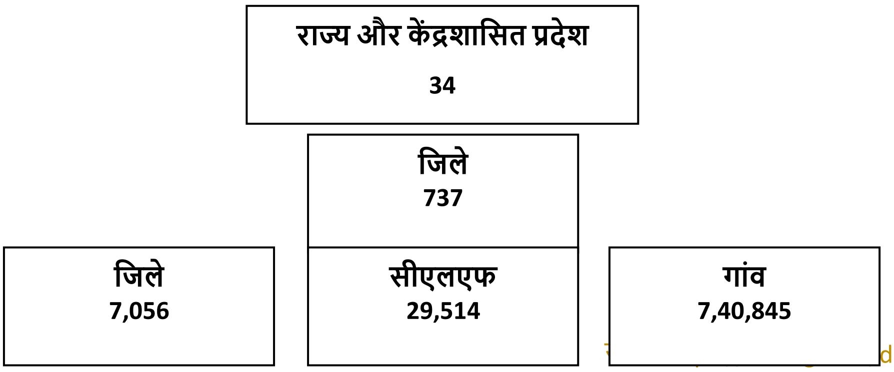

dashboard

राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ, 14 संबंधित मंत्रालयों नामत: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शहरी कार्य और आवासन मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान में भाग लिया।

देश भर में जनता के बीच अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने और चर्चा करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने अभियान के लिए पूरे महीने की एक व्यापक मीडिया योजना प्रदान की, जिसमें लैंगिक हिंसा को रोकने के संदेश का प्रचार-प्रसार करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधिकारिक हैंडल का उपयोग शामिल है। अभियान की पूरी अवधि के दौरान, विभिन्न प्रिंट और मीडिया घरानों की मदद से टॉक शो, लेख, कविताएं आदि नियमित रूप से प्रकाशित या आयोजित किए गए। सामुदायिक/ क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय रेडियो में डीएवाई-एनआरएलएम के एसएचजी नेताओं और सामुदायिक संस्थानों के साथ बातचीत और सार्वजनिक प्रसारक, टीवी चैनल, दूरदर्शन पर लैंगिक हिंसा और महिला सशक्तिकरण पर फिल्मों को दिखाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यान्वयन रणनीतियों की योजना बनाई गई जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

3.1 परस्पर सामंजस्य रणनीति

- अभियान को सभी राज्यों द्वारा नागरिक संगठनों के सहयोग से लागू किया गया, तथा राज्य, जिला और ब्लॉक सहित सभी स्तरों पर सामुदायिक संस्थानों के साथ-साथ इनसे जुड़े समुदाय द्वारा सक्रिय रूप से निष्पादित किया गया। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों की एक निर्धारित योजना बनाई गई।
- संबंधित मंत्रालयों के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई। इनमें कर्मचारियों और अधिकारियों का परिचित करना, विभिन्न स्तरों पर अभियान गतिविधियां शुरू करना, प्रारंभिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए सभी अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करना आदि शामिल था।
- अध्ययन किए जा रहे सभी राज्य, जिला, ब्लॉक और सीएलएफ स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से ये निकल कर आया कि सभी जगह सबसे पहला कदम ऑनलाइन मोड के माध्यम से एसआरएलएम के जिला स्तर के अधिकारियों को जानकारी देना और जागरूक करना था।
- उसके बाद के कदम के रूप में, एसआरएलएम ने अपनी ओर से विभिन्न संबंधित विभागों जैसे समाज कल्याण, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), पुलिस, विधि सेवा, जनजातीय कार्य और युवा मामले, शिक्षा को आदेश जारी करके और वेबकास्ट के माध्यम से जेंडर अभियान और उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए दिशानिर्देश दिए। नागरिक संगठन एवं समदायिक संगठनों को भी बड़े पैमाने में अभियान गतिविधियों के लिए गठित प्रमुख कार्य अथवा निगरानी समितियों में शामिल किया गया।

- मुख्य समिति के गठन के दौरान, जेंडर अभियान के उद्देश्य और विषय पर चर्चा की गई तथा संबंधित विभाग के परामर्श करने के बाद ही जिला, ब्लॉक, सीएलएफ, वीओ और एसएचजी स्तर पर अभियान के लिए चारों सप्ताह के लिए सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों के साथ सप्ताहवार कैलेंडर विकसित किया गया। अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान, यह बात सामने आई कि तैयारी के चरण के दौरान विभिन्न स्तरों पर लगभग एक समान ही रणनीति अपनाई गयी थी।

3.2 **विस्तार** हेतु **रणनीति**

- एसआरएलएम ने सप्ताहवार विषयों का चयन किया और अभियान की गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाई। यह एनआरएलएम द्वारा साझा किए गए विषयों के अतिरिक्त था। साप्ताहिक विषयों में अन्य मुद्दों के साथ स्थानीय रूप से प्रासंगिक मुद्दे भी शामिल किए गए, जैसे कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, शराबखोरी, डायन कुप्रथा, आदि। एसआरएलएम ने अभियान के प्रत्येक सप्ताह के लिए गतिविधियां तय करते समय इन स्थानीय मुद्दों का भी चयन किया।

पुडुचेरी में राज्य स्तर पर वॉकाथन का आयोजन

- राज्यों में नोडल व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान मुखरता से उठाने वाले विभिन्न विषयों की पहचान की गई है। इसे राज्य की आबादी से जोड़ने और प्रासंगिक बनाने के लिए, एनआरएलएम -एनएमएमयू द्वारा चिन्हित मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया गया था। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, पहले सप्ताह के लिए जेंडर आधारित भेदभाव मुख्य विषय था तथा इसमें स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों को लक्षित किया गया था, जबकि दूसरे सप्ताह में चयनित विषय 'बाल विवाह के खिलाफ' था। इसी तरह, तीसरे सप्ताह में लड़कियों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून प्रमुख विषय था और चौथे सप्ताह में घरेलू हिंसा मुख्य विषय था, जिन पर विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई।
- इसी तरह, उदाहरण के लिए, झारखंड में, राज्य ने अभियान के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, डायन-कुप्रथा, जैसे राज्य-विशिष्ट मुद्दों को उजागर करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाई। उन मुद्दों के प्रति जागरूकता को अभियान में चिन्हित किया गया था जो लैंगिक हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं और राज्य में अधिक प्रासंगिक हैं, ।
- मास मीडिया (टीवी, रेडियो आदि) की भागीदारी ने अभियान का व्यापक विस्तार किया। इसके अलावा, अभियान की गति को बढ़ाने के लिए लोक गीतों और नाटकों जैसे अन्य लोकप्रिय माध्यमों का भी उपयोग किया गया।
- पंचायत स्तर आदि तक उपयुक्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) सामग्री का वितरण किया गया।

3.3 भागीदारीता की रणनीति

3.3.1 राज्य स्तर पर भागीदारीता की रणनीति

विशिष्ट गतिविधियां जिनमें राज्यों की कार्यान्वयन रणनीति शामिल थी:

- **लैंगिक हिंसा पर परामर्शी कार्यशालाएं; पॉश (POSH) क़ानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) जागरूकता बैठकें** अभियान की शुरुआत से ही संबंधित विभागों और उनके हितधारकों को शामिल करके की गईं। इससे विभिन्न हितधारकों को मुद्दों पर सामान्य समझ के साथ संवेदनशील बनाने और एक साथ लाने में मदद मिली, और इसे निचले स्तरों पर उनकी संबंधित टीमों के साथ साझा किया।

पुडुचेरी में राज्य स्तरीय शपथ कार्यक्रम

- विशेष रूप से राज्यों की राजधानियों में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न संबंधित विभागों को शामिल करके **लैंगिक हिंसा के खिलाफ शपथ** ली गई।

अध्ययन किए गए राज्यों में, जैसा कि **पुडुचेरी** में बताया गया है, अभियान के प्रथम दिन से ही सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए एक **हस्ताक्षर अभियान** चलाया गया था।

3.3.2 जिला स्तर पर भागीदारीता की रणनीति

- **आईसीसी और पॉश पर जागरूकता के लिए** जिला मुख्यालयों पर अभियान के शुरुआती दौर में बैठकें आयोजित की गईं।

- संबंधित विभागों और हितधारकों को शामिल करके लैंगिक हिंसा का समाधान करने के लिए परामर्शी कार्यशालाओं की सूचना राज्य और जिला स्तर के एसआरएलएम अधिकारियों द्वारा दी गई। इन परामर्शी कार्यशालाओं ने संयुक्त रूप से लैंगिक हिंसा से जुड़े मुद्दों जैसे शराब, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, डायन कुप्रथा, दहेज, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि को चिन्हित करने में मदद की और समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक प्रयास के साथ-साथ लैंगिक हिंसा के उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्रवाई की ओर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकृष्ट किया गया।

आंध्र प्रदेश में लैंगिक हिंसा पर जिला स्तरीय रैली

इसके साथ ही जिलों में संचालित अन्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ब्लॉक और सीएलएफ अधिकारियों को शामिल करते हुए रैलियां आयोजित की गईं।
- अभियान और उसके उद्देश्यों के साथ-साथ अभियान अवधि के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए वीओ और सीएलएफ की बैठकें आयोजित की गईं।
- मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, अधिकारियों ने विशेष रूप से जिला स्तर पर रैलियों के आयोजन का उल्लेख किया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के साथ-साथ पीआरआई और सीएलएफ सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया।

- इसी तरह, उत्तर प्रदेश में, अधिकारियों ने ब्लॉक के पुरुष और महिला कर्मचारियों के साथ-साथ सीएलएफ अधिकारियों को शामिल करके बैठकें और रैलियां आयोजित करने की जानकारी दी।

3.3.3 ब्लॉक स्तर पर भागीदारीता की रणनीति

अध्ययन किए गए राज्यों में, अधिकारियों ने ब्लॉक स्तर पर आयोजित गहन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। विशेष रूप से, प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- ब्लॉक अधिकारियों को शामिल करके रैलियां निकाली गईं।
- लैंगिक हिंसा मुद्दों पर प्रतिभागियों को जागरूक बनाने के लिए नारे लगाए गए और सार्वजनिक सभाएं की गईं।
- पॉश क़ानून और आईसीसी के बारे में जागरूक किया गया (सभी राज्यों में)
- शाम के समय कैंडल मार्च निकाला गया और मार्च के दौरान लैंगिक हिंसा के खिलाफ नारे लगाए गए।

ओडिशा में ब्लॉक स्तर पर रंगोली बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिभागियों द्वारा लैंगिक हिंसा और अन्य संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए सीएलएफ और एसएचजी सदस्यों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसके विषय थे - पुरुष अच्छे क्यों होते हैं? महिलाएं अच्छी क्यों होती हैं? घरेलू कार्य महिलाओं को ही क्यूँ करना चाहिए? तथा परिवार के लिए पुरुषों को ही क्यूँ कमाना चाहिए?

3.3.4 सीएलएफ स्तर पर भागीदारीता की रणनीति

वंचित समुदाय को जागरूक बनाने के लिए, अभियान अवधि के दौरान अधिकतर सामाजिक-आर्थिक रूप से/कम आबादी वाले वर्ग से, कई गतिविधियों की योजना बनाई गई और उन्हें लागू किया गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लैंगिक हिंसा के खिलाफ शपथ ली गई। अभियान अवधि के दौरान एसआरएलएम द्वारा चिन्हित सप्ताह-वार लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली रैलियां अनेक बार निकाली गईं।
- लैंगिक हिंसा का समाधान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए सीएलएफ स्तर की बैठकें आयोजित की गईं।

पुंडुचेरी में रंगोली बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत करते समय समुदाय की महिलाओं को सहज बनाने के लिए अभियान के दौरान एक पहल की गई, जिसमें सीएलएफ स्तर पर जेंडर सीआरपी द्वारा पुलिस कर्मियों को राखी बांधने का आयोजन किया गया।

3.3.5 सामुदायिक स्तर पर भागीदारी रणनीति

इसी तरह, सामुदायिक स्तर पर, अभियान के दौरान अध्ययन राज्यों में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल थे-

तमिलनाडु में रंगोली

- लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता पर नारे लगाए गए। समुदाय के साथ विचार-विमर्श से रचे गए कुछ अनूठे नारे हैं - *"सब को है शिक्षा का अधिकार" "महिला है गम नहीं, हम पुरुषों से कम नहीं, "लड़का-लड़की एक समान"* ।
- समुदाय के सदस्यों द्वारा लैंगिक हिंसा के खिलाफ शपथ लेना।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए रैलियां/ प्रभात फेरी निकाली गईं।
- लैंगिक हिंसा पर संदेशों को दर्शाती स्थानीय चित्रकला
- रंगोली बनाने, फिल्में प्रदर्शित करने और रात्रि सैर आयोजित करके न केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों बल्कि समुदाय के अन्य सदस्यों, महिला और पुरुष दोनों को शामिल करने की सूचना भी राज्यों द्वारा दी गई थी।
- सभी राज्यों में सामुदायिक स्तर पर अभियान के दौरान संबंधित विभागों और महिलाओं के साथ जेंडर फोरम की बैठकें आयोजित की गईं।
- पोस्टर, इश्तहार और बैनर वितरित किए गए तथा समुदाय के उन स्थानों पर चिपकाए गए जहां आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आदि।

3.4 सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की रणनीति

सीएलएफ स्तर पर, जैसे मेघालय में जेंडर समूह संसाधन व्यक्ति (जीसीआरपी), सामुदायिक जेंडर स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैडर (सीजीएचए) को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि अभियान के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन, सूचना का प्रचार-प्रसार करने, उसे लोकप्रिय बनाने की जमीन तैयारी की जा सके।

इसी तरह से, एसएचजी स्तर पर भी अभियान के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही अभियान के बारे में जागरूकता के लिए जीसीआरपी द्वारा समूह बैठकें आयोजित की गईं।

विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि अभियान के दौरान आम तौर पर समुदाय के सदस्यों को शामिल करने के अलावा कुछ विशिष्ट समूहों, प्रभावशाली व्यक्तियों और समुदायों को भी लक्षित किया गया था। अध्ययन किए गए शहरों में, कुछ हितधारकों को निम्नलिखित रूप से उल्लेखित किया गया है जिनकी भागीदारी के लिए कार्यक्रम टीम द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे;-

- झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश: अनुसूचित जनजाति (अ.जा.) और अनुसूचित जाति (अ.ज.जा.) समुदाय विशेष रूप से झारखंड में विशिष्ट जनजातीय समूह (पीवीटीजी) इन समुदायों के बीच कम साक्षरता दर और बाल विवाह की उच्च दर के कारण शामिल हुए थे।
- **छत्तीसगढ़**: युवाओं के बीच उनके संबंध के लिए राजीव गांधी युवा मित्र स्वयंसेवक।
- **तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश:** अभियान की विभिन्न गतिविधियों में दिव्यांगजन शामिल किए गए।
- **मेघालय:** कैंडल मार्च और जागरूकता बैठकों के दौरान धार्मिक नेता शामिल हुए।
- **उत्तर प्रदेश और पुंडुचेरी:** वीओ स्तर की बैठकों में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी।
- **पुंडुचेरी:** संयोग से, अभियान शुरू होने से कुछ महीने पहले, लैंगिक हिंसा के जोखिम वाली आबादी की पहचान करने के लिए स्थान के आधार पर एक विश्लेषण किया गया था। इस सर्वेक्षण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लैंगिक हिंसा की घटनाएं 'एकल महिलाओं' और 'सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों' में अधिक होती हैं। इसलिए अभियान के दौरान इन आबादी को विशेष रूप से लक्षित किया गया था।

3.5 अनुश्रवण की रणनीति

- राज्य स्तर पर अनुश्रवण की रणनीति जिला और खंड के इकाइयों की मदद से तैयार की गई थी।
- अभियान के दौरान गतिविधियों से संबंधित डेटा दर्ज करने के लिए एमआईएस का उपयोग करने पर सीएलएफ अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई।
- सभी स्तरों पर बैठकें आयोजित की गईं और अभियान की प्रगति को देखने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

3.6 अभियान के दौरान लागू की गई अनूठी गतिविधियां

गौरतलब है कि अध्ययन किए गए राज्यों में लैंगिक हिंसा से जुड़े मुद्दों को उजागर करने वाली किसी न किसी अनूठी गतिविधियों को भी अभियान के लिए नियोजित कार्यान्वयन रणनीति में शामिल किया गया। ये योजनाएं थीं:

- छत्तीसगढ़ में नुक्कड़ सभा
- बिहार में मेहंदी लगाना
- बिहार में स्कूली बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ खेल खेलना।
- तमिलनाडु में धनुष-गीत (लोक संगीत) जाने-माने कलाकारों को शामिल करके आयोजित किया गया।
- उत्तर प्रदेश में लैंगिक हिंसा पर स्कूली बच्चों के बीच बाल विवाह, असुरक्षित स्पर्श (अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श), बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पुंडुचेरी और तमिलनाडु में छात्रों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श) के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल का दौरा किया गया।
- मेघालय में पोस्को अधिनियम[3] पर जागरूकता गतिविधियां चलाई गईं।
- ओडिशा, मध्य प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा, दहेज जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक किए गए।

कुल मिलाकर, अध्ययन किए गए राज्यों में राष्ट्रीय और विभिन्न स्तरों पर लागू की गई रणनीतियों में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय रूप से प्रासंगिक विषयों और गतिविधियों को तैयार करने की पहल पर प्रकाश डाला गया है ताकि समुदाय को लैंगिक हिंसा के मुद्दों के विरुद्ध जोड़ा जा सके ताकि वे जागरूकता के विभिन्न गतिविधियों में सक्रियता से भाग लें और अपने आसपास होने वाली लैंगिक हिंसा की किसी भी घटना के खिलाफ तत्परता से आवाज उठाएँ।

[3] *लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012*

अध्याय 4

आंकलन के निष्कर्ष

त्वरित आंकलन के दो दौर के परिणाम, एसएचजी सदस्यों के ऑनलाइन सर्वेक्षण और अभियान एमआईएस के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह अध्याय राष्ट्रीय जेंडर अभियान की पहुँच, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इस अध्याय में उन सहायक और बाध्यकारी कारकों का विश्लेषण किया गया है, जिन्होंने अभियान की गतिविधियों को प्रभावित या दुष्प्रभावित किया है। अभियान का पहला वर्ष होने के नाते, आंकलन ने भविष्य में अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए अभियान की ताक़त, कमज़ोरियाँ और विस्तार अवसरों की पहचान की है। इसके अलावा आने वाले राष्ट्रीय जेंडर अभियान के लिए सुधारात्मक उपायों को चिन्हित कर उसे लागू करने में अभियान को जिन कमजोरियां और संभावित जोखिम का सामना करना पड़ सकता है उस पर भी चर्चा की गई है।

4.1 अभियान की पहुंच

राष्ट्रीय जेंडर अभियान ने एनआरएलएम के विस्तार क्षेत्र के तहत राज्य स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर तक विभिन्न संस्थानों और हितधारकों के परस्पर सामंजस्य के लिए एक मंच प्रदान किया। सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और आम जनता, महिलाओं और पुरुषों दोनों, और कुछ स्थानों पर ट्रांसजेंडरों ने भी अभियान के विभिन्न चरणों में भाग लिया। 'जन आंदोलन' के दृष्टिकोण के साथ, अभियान का उद्देश्य पहले कदम के रूप में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करना था। अभियान में एसएचजी सदस्यों के नेतृत्व में सामुदायिक स्तर पर अधिकतम गतिविधियों के साथ देश भर में लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई है। जैसा कि एमआईएस की रिपोर्ट से पता चलता है, सभी राज्यों में एसएचजी स्तर तक व्यापक भागीदारी थी। हालांकि, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने विधानसभा चुनाव जैसे प्रशासनिक कारणों से अभियान में बाद में भाग लिया।

अभियान के दौरान 3.5 करोड़ लोगों ने लगभग 6 लाख गतिविधियों में हिस्सा लिया

राज्यों से लेकर एसएचजी/ ग्राम संगठन (वीओ) स्तर तक, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। जैसा कि एमआईएस पर रिपोर्ट किया गया है, देश भर में अभियान के दौरान लगभग 6 लाख गतिविधियां आयोजित की गईं और 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने इन गतिविधियों में भाग लिया।

चित्र 7: संस्थागत इकाइयों की अभियान में भागीदारी - राज्य से एसएचजी तक

राज्यों द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
32

जिलों द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
560

ब्लॉकों द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
3,511

सीएलएफ द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
12,868

वीओ द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
57,616

एसएचजी द्वारा संचालित अभियान गतिविधियां
26, 51,374

स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड

4.1.1 अभियान गतिविधियों में अधिकारियों की भागीदारी

अध्ययन राज्यों में एसआरएलएम के अधिकांश राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों ने लैंगिक हिंसा पर कार्यशाला, बैठक, रैलियां , शपथ ग्रहण कार्यक्रम, कैंडल मार्च आदि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्य के नोडल अधिकारियों ने अध्ययन टीम के साथ चर्चा के दौरान ये बताया कि अभियान में एसआरएलएम अधिकारियों के अलावा कई संबंधित विभाग जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा, पुलिस विभाग, पंचायत राज संस्थानों आदि की भी सक्रिय भागीदारी रही।

> *"हमने पुलिस, विधि प्राधिकारियों, आईसीडीएस, समाज कल्याण विभागों आदि जैसे विभिन्न संबंधित विभागों के साथ लैंगिक हिंसा पर कार्यशाला और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया है।"*
>
> *- आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, आंध्र प्रदेश*

4.1.2 संबंधित विभागों के साथ अभिसरण

अभियान में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ अभिसरण कुछ राज्यों तक ही सीमित था। सभी 14 संबंधित मंत्रालयों/ विभागों और प्राधिकरणों, जैसे शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि ने लगभग 4,000+ गतिविधियों को आयोजित किया और इसमें भाग लिया। हालांकि, ये गतिविधियां कुछ राज्यों में ही आयोजित की गईं। कुल मिलाकर, संबंधित विभागों द्वारा संचालित कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं:

- उद्घाटन और समापन कार्यक्रमों में भागीदारी
- परामर्शी कार्यशाला में भागीदारी
- स्कूलों और एफएलडब्ल्यू के साथ विस्तार कार्यक्रम
- लैंगिक हिंसा मुद्दों से कर्मचारियों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को परिचित कराना
- शपथ कार्यक्रमों का आयोजन
- कर्मचारियों को पॉश और आईसीसी प्रशिक्षण

> *"समाज कल्याण विभाग ने लैंगिक हिंसा पर जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ गांवों में नाटक का आयोजन किया..."*
>
> - आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, तमिलनाडु

> *शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने युवकों और युवतियों के बीच लैंगिक हिंसा पर जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ जन सभाओं का आयोजन किया।*
>
> - आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, तमिलनाडु

विभिन्न स्तरों पर एक या अन्य संबंधित विभागों और संस्थानों द्वारा अध्ययन राज्यों में संचालित कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं:

जेंडर अभियान के दौरान गतिविधियों में संबंधित विभागों की भागीदारी

राज्य	**विभाग**	**गतिविधियां**
सभी अध्ययन राज्य *(संख्या 10)*	पंचायती राज, डब्ल्यूसीडी, विधि प्राधिकारी	पीआरआई सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की विभिन्न सामुदायिक स्तरीय संवेदीकरण गतिविधियों जैसे रैलियां, सामुदायिक इंटरफेस, शपथ कार्यक्रम आदि में भागीदारी।
तमिलनाडु	डब्ल्यूसीडी और समाज कल्याण	लैंगिक हिंसा से जुड़े सामाजिक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा और दहेज पर नाटक और रोल प्ले
	शिक्षा	युवकों और युवतियों के बीच लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता के लिए जनसभाएं।
झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा	शिक्षा	लैंगिक हिंसा के खिलाफ रैलियां, शपथ कार्यक्रम; राज्य स्तरीय स्कूलों में निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता और खेल, जिसमें लड़कियों और लड़कों दोनों ने भाग लिया
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पुडुचेरी और तमिलनाडु	शिक्षा	छात्रों को सही और ग़लत स्पर्श (अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श) के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल का दौरा किया गया
ओडिशा, मध्य प्रदेश और मेघालय	डब्ल्यूसीडी और डालसा	घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसे विषयों पर नुक्कड़ नाटक
मेघालय	डब्ल्यूसीडी	मेघालय में पोकसो अधिनियम पर जागरूकता गतिविधियां

स्रोत: भारत के 10 राज्यों से गुणात्मक आंकलन डेटा

इससे अभियान का विस्तार करने और साथ ही और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों ने भी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीआरआई सदस्यों ने ग्राम बैठकों में भाग लिया और समुदाय के लोगों को अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

4.1.3 जिला और खंड स्तर पर गतिविधियां

राज्य स्तर की गतिविधियों के अलावा, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे शपथ कार्यक्रम, रैलियां, और रंगोली प्रतियोगिता जिसमें अधिकारी, संबंधित मंत्रालय, सीएलएफ और एसएचजी सदस्य ने शामिल होकर अभियान के कार्यक्षेत्र और दृश्यता में सुधार किया।

एमआईएस डैशबोर्ड से, अभियान के लिए औसतन सभी गतिविधियों को सभी जिले और ब्लॉकों में योजना के अनुसार अलग अलग आवृत्ति के साथ संचालित किया गया था। सामान्यतः शपथ कार्यक्रम, पॉश और आईसीसी पर जागरूकता एवं अभियान के उद्घाटन समारोह लाइव देखने हेतु स्क्रीन की व्यवस्था थीं। अभियान में औसतन इन गतिविधियों में से कम से कम एक गतिविधि हर जिले और ब्लॉकों में आयोजित की गई थी।

चित्र 10: विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाले जिले % में ***(N=423)***

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव	60
सोशल मीडिया अपडेट	71
पॉश और आईसीसी पर जागरूकता कार्यक्रम	79
लॉन्च की जांच	87
लैंगिक हिंसा पर परामर्शी कार्यशालाएं	88
लैंगिक हिंसा पर शपथ	92

चित्र 11: विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाले ब्लॉक % में (N=2,586)

सोशल मीडिया अपडेट	19
विधि सेवा प्रदाताओं के साथ इंटरफेस	19
नारेबाजी	32
लैंगिंक हिंसा के विरुद्ध शपथ	54
जन सभाएं	54
पॉश और आईसीसी पर जागरूकता कार्यक्रम	58
उद्घाटन समारोह की लाइव स्क्रीनिंग : 79	

***N=** भाग लेने वाले जिलों/ ब्लॉकों की संख्या* *स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड*

4.1.4 ब्लॉक और सीएलएफ स्तरों पर अतिरिक्त गतिविधियां

सुझाई गई गतिविधियों से परे जाकरब्लॉक और सीएलएफ स्तरों पर उत्साहजनक रूप से कुछ और गतिविधियां भी आयोजित की गईं, जैसे-

- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में सीएलएफ और एसएचजी सदस्यों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।
- सीएलएफ स्तर पर, जेंडर सीआरपी ने विभिन्न तरीकों जैसे 'अच्छा स्पर्श' और 'बुरा स्पर्श' विषयों, व्हाट्सएप के माध्यम से लैंगिक हिंसा के ख़िलाफ़ वीडियो साझा करना, स्कूलों में कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता आदि।
- तमिलनाडु में, बो-सॉन्ग जो संगीतमय कहानी सुनाने की पद्धति का एक रूप है, का आयोजन किया गया, जहां जाने-माने कलाकारों ने शिरकत करके अभियान के उद्देश्य और महिलाओं को सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन के बारे में बताया।
- ब्लॉकों में पुलिस, विधि सहायकों और एफएलडब्ल्यू के साथ रैलियों और बैठकों का आयोजन किया।
- एफएलडब्ल्यू ने रैलियां, आंगनवाड़ी में रंगोली प्रतियोगिता, घर-घर जाकर गांवों के आसपास इश्तहार/पोस्टर बांटे/चिपकाए।
- जेंडर फोरम और सामुदायिक इंटरफेस बैठकों के दौरान पुलिस, आईसीडीएस, डालसा जैसे संबंधित विभागों और पीआरआई प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का आयोजन किया गया; और इन बैठकों में महिलाओं और बालिकाओं से

उड़ीसा में रंगोली

संबंधित विभिन्न योजनाओं; कॉल करने के लिए हेल्पलाइन/ टोल फ्री नंबर; प्रवर्तन एजेंसियों/ संस्थाओं से संपर्क करने और अधिकारों और कानूनों पर चर्चा की गई।

स्थान		**हितधारक**	
स्कूल	**आंगनवाड़ी**	**एसएचजी, पीआरआई और वीओ, सीबीओ सदस्य**	**युवा, स्कूली बच्चे, किशोर**
जन स्वास्थ्य सुविधाएं	**पुलिस स्टेशन**	**सामान्य समुदाय के सदस्य (महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग)**	**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, डॉक्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्कूली शिक्षक**

कुल मिलाकर, निष्कर्षों ने समुदाय के लगभग सभी वर्गों तक अभियान की पहुंच को भी उजागर किया। अभियान न केवल ग्रामीण आबादी के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा, बल्कि इसमें समुदाय के साथ-साथ अधिकारी/ कार्यकर्ताओं के स्तर पर प्रमुख हितधारकों की भी सक्रिय भागीदारी देखी गई।

एमआईएस डैशबोर्ड से यह देखा गया कि अभियान के लिए औसतन सभी गतिविधियां योजना के अनुसार आयोजित की गईं लेकिन उनकी आवृत्ति भिन्न हो सकती है। सबसे ज्यादा रैलियां की गईं और सबसे कम जनसभाओं में अनुभव साझा करना था। इसके अलावा, कुछ गतिविधियों, विशेष रूप से समुदाय/सीएलएफ स्तरों पर, जैसे कि रैलियां, शपथ लेने के कार्यक्रम, और रंगोली बनाने के कार्यक्रमों को अभियान अवधि के दौरान प्रति सप्ताह अधिकांश राज्यों में निम्नलिखित कारणों से दोहराए गए:

- इन गतिविधियों में न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों की भी उच्च भागीदारी दर देखी गई जैसा कि समुदाय और अधिकारियों से चर्चा और ऑनलाइन सर्वेक्षण में निकल के आया।
- शपथ कार्यक्रमों में 63 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और रैलियों में 25 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।
- अधिक से अधिक लोगों को रंगोली बनाने, रैलियों और शपथ कार्यक्रमों जैसे सामूहिक आयोजनों में शामिल किया गया।

चित्र 12: प्रति सीएलएफ गतिविधियों की औसत संख्या (N = 10,478)

आयोजित रैलियां	15
लैंगिक हिंसा पर बैठकें	9
शपथ गतिविधियों का आयोजन	9
जीपी स्तर पर जेंडर फोरम की बैठक	6
रंगोली कार्यक्रम का आयोजन	4
मूवी शो का आयोजन	3
नारेबाजी गतिविधियों का आयोजन	3
जनसभाओं में अनुभव साझा करना	2

स्रोत: एमआईएस डैशबोर्ड

विभिन्न वर्गों और आयु समूहों के लोगों को शामिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक समूहों को लक्षित किया गया था। हालांकि, केवल कुछ राज्यों में ही ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी की सूचना मिली थी।

इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों के बीच किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय आंकलन ने, उत्तरदाताओं की जागरूकता और सामाजिक मानदंडों और निर्णय लेने की क्षमता के साथ-साथ अभियान कार्यकलापों के बारे में जागरूकता प्रदान की।

देश में अधिकांश एसएचजी/वीओ/सीएलएफ ने अभियान अवधि अर्थात् पिछले एक महीने के दौरान लैंगिक हिंसा को कम करने के लिए, लैंगिक हिंसा और महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां शुरू की थीं। सर्वेक्षण किए गए एसएचजी सदस्यों में से लगभग तीन-चौथाई राष्ट्रीय जेंडर अभियान के बारे में जागरूक थे।

अभियान के दौरान संचालित गतिविधियों के प्रकार: विशेष रूप से, अभियान अवधि के दौरान संचालित गतिविधियों के प्रकार के बारे में पूछे जाने पर, अधिकांश एसएचजी सदस्यों द्वारा उल्लिखित गतिविधियां थीं - 'समूह बैठकें (71%)'; रैलियां (57%) और रंगोली बनाना (50%)।

चित्र 13: (अभियान अवधि) के दौरान एसएचजी सदस्यों की पिछले एक महीने की गतिविधियों के बारे में जागरूकता % में (एन=20,178)

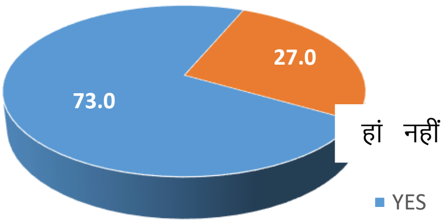

स्रोत: एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक तीन एसएचजी सदस्यों में से एक ने अभियान अवधि के दौरान गतिविधियों में से एक के रूप में 'शपथ कार्यक्रम' और 'लैंगिक हिंसा के खिलाफ नारेबाजी' का भी नाम लिया।

अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा अभियान के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों को याद करना, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बीच, देश भर में राष्ट्रीय जेंडर अभियान की उच्च दृश्यता और पहुंच को दर्शाता है। समुदाय के लोग समुदाय में मौजूद लैंगिक मुद्दों को भी स्वीकार कर रहे हैं।

चित्र 14: अभियान के दौरान आयोजित गतिविधियों के प्रकार % में (N=14,729)

समूह बैठक	रैली	रंगोली बनाना	शपथ कार्यक्रम	नारे लगाना
71	57	50	37	36

स्रोत: एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

4.2 अभियान की प्रासंगिकता

दूसरे घटक के आंकलन में अभियान की प्रासंगिकता के तहत अभियान के दौरान जेंडर मानदंडों, जागरूकता और विभिन्न लैंगिक हिंसा मुद्दों की का पता लगाने की अवधारणा पर ध्यान दिया गया। इसने लैंगिक हिंसा को स्वीकारने, बोलने के लिए मनाने और इसके खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ सहायता की मांग करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। किसी कार्यकलाप की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख हितधारकों के बीच इसकी प्रासंगिकता का विशेष रूप से आंकलन किया जाए।

4.2.1 समुदाय में जेंडर मानदंडों के बारे में अवधारणा

'जेंडर मानदंडों के बारे में अवधारणा' पर ऑनलाइन आंकलन से पता चला है कि अधिकांश एसएचजी सदस्यों (61%) ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान को अपने समुदायों के लिए प्रासंगिक पाया।

उत्साहजनक प्रतिक्रिया के रूप में दो-तिहाई से अधिक एसएचजी सदस्य 'इस बात से असहमत थे कि वे पुरुषों से किसी तरह से कम हैं', और दूसरे शब्दों में उनका मानना था कि महिलाएं और पुरुष दोनों एक-समान हैं। इतने ही प्रतिशत (71%) एसएचजी सदस्यों ने दृढ़तापूर्वक यह मानना था कि 'महिलाओं की उनके नाम पर संपत्ति होनी चाहिए'।

चित्र 15: लैंगिक मानदंडों पर एसएचजी की अवधारणा % में (N=20,178)

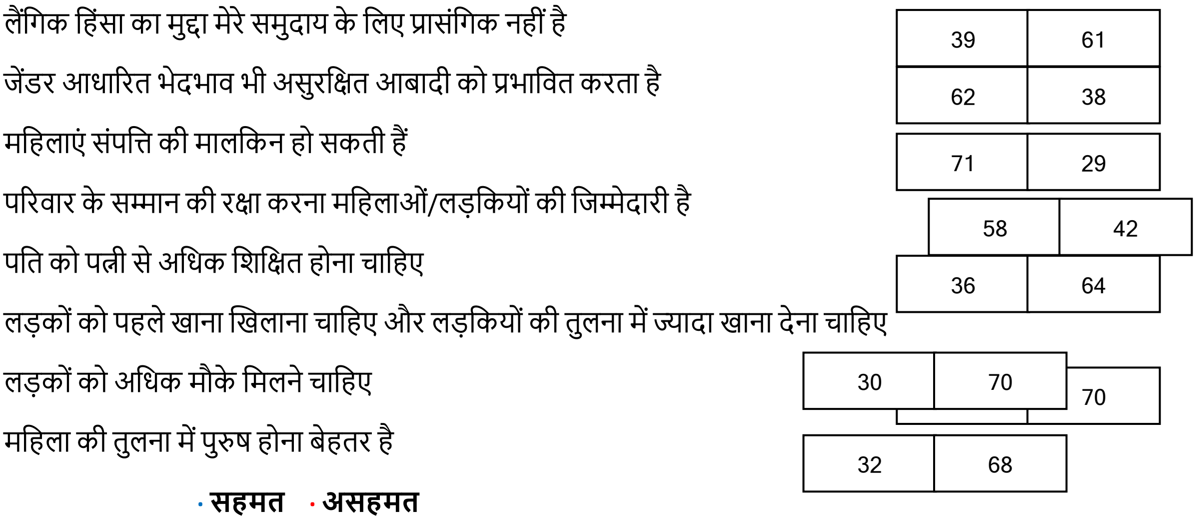

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

लगभग दो-तिहाई एसएचजी सदस्य (64%) इस बात से असहमत थे कि पत्नियों की तुलना में पतियों को अधिक शिक्षित होना चाहिए। सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से एसएचजी सदस्यों के बीच उच्च जागरूकता को दर्शाता है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वह शिक्षा या संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना हो। दूसरे शब्दों में, अधिकांश एसएचजी सदस्य का मानना था कि किसी व्यक्ति के साथ जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

हालांकि, लगभग 60 प्रतिशत एसएचजी सदस्य इस कथन से सहमत थे कि 'अपने परिवारों के सम्मान की रक्षा करना महिलाओं की जिम्मेदारी है'। पिछले कई दशकों से पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और प्रचलित सामाजिक मानदंडों के प्रभाव ने विशेष रूप से महिलाओं की सोच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह स्पष्ट रूप से भावी अभियान कार्यकलापों में इस मानसिकता को दूर करने के लिए यह दिशा प्रदान करता है कि महिलाएं परिवार या अपने समुदाय के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

एसएचजी सदस्यों के बीच हुए सर्वेक्षण से एक अन्य चिंताजनक बात पता चली कि विभिन्न पारिवारिक मुद्दों को लेकर 'पत्नी की पिटाई करना गलत बात नहीं थी'। सर्वेक्षण में शामिल प्रत्येक चार एसएचजी सदस्यों में से एक ने यह माना कि यदि कोई पति उसकी पत्नी द्वारा उसे बिना बताए बाहर जाने या अपने बच्चों की देखभाल न करने या खाना ठीक से नहीं पकाने पर मारता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा, लगभग 20 प्रतिशत उत्तरदाता असमंजस में थे कि पति का ऐसा व्यवहार उचित है अथवा नहीं। यह सामुदायिक स्तर पर लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान की आवश्यकता/ प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

चित्र 16: विभिन्न स्थितियों में पति/ साथी के मारने या पीटने पर राय % में (N=20,178)

	न्यायोचित	न्यायोचित नहीं	नहीं कह सकता
यदि वह अपने ससुराल वालों के प्रति अनादर दिखाती है	25	56	19
यदि उसके बेवफा होने का शक है	25	56	19
यदि वह खाना ठीक से नहीं बनाती है	25	56	19
यदि वह उसके साथ सेक्स करने से मना कर देती है	21	58	21
यदि वह उसके साथ बहस करती है	27	55	18
यदि वह घर या बच्चों की उपेक्षा करती है	25	58	17
यदि वह उसे बिना बताए बाहर जाती है	24	58	18

· न्यायोचित · न्यायोचित नहीं · नहीं कह सकता

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

4.2.2 गतिशीलता, सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व

एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण में महिलाओं और बेटी के आने-जाने, सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व के बारे में विभिन्न धारणाओं का आंकलन किया गया।

आधे से अधिक उत्तरदाता इस बात को लेकर सहमत थे कि महिलाओं को बाजार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या सामान्य रूप से घर से बाहर कहीं भी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा में इस बात सामने आई कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं और अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं तथा पति भी अपनी पत्नियों का समर्थन कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से भावी अभियान कार्यकलापों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि, स्वयं सहायता समूह के लगभग एक-तिहाई सदस्यों का मानना था कि उन्हें केवल विशेष रूप से किसी और के साथ अपने घर से बाहर जाने की अनुमति है लेकिन अकेले जाने की अनुमति नहीं है। इससे पता चलता है कि परंपरागत जेंडर भूमिकाएं अभी भी महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इसलिए ऐसे अभियानों की आवश्यकता है।

चित्र 17: महिलाओं की गतिशीलता पर एसएचजी की अवधारणा % में (N=20,178)

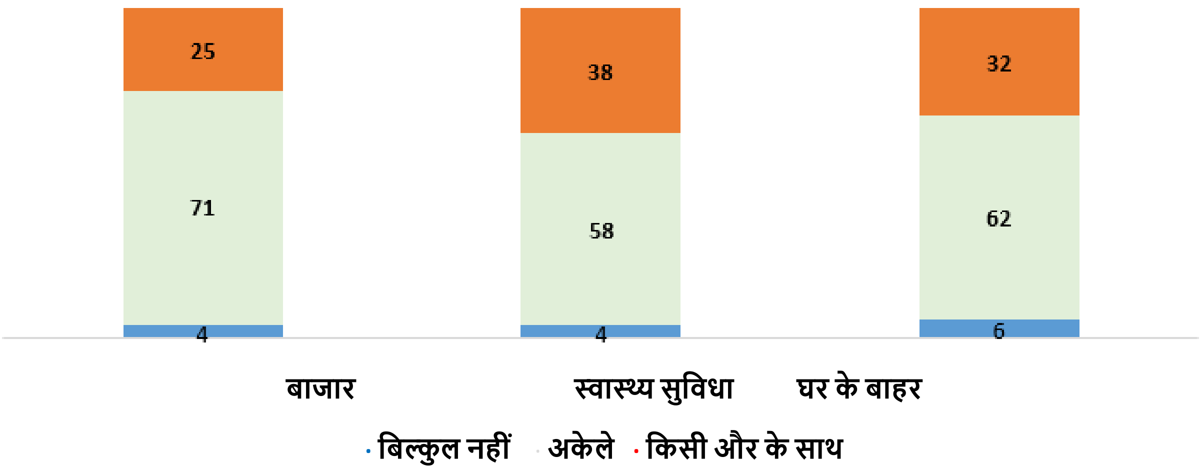

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे अपनी बेटियों को नौकरी/आजीविका के लिए अपने गांव से बाहर जाने देंगे। हालांकि, काम के पसंदीदा स्थान का चुनाव जिले के भीतर (39%), दूसरे जिले/शहर में (29%) या देश के बाहर/विदेश (13%) में भिन्न-भिन्न है। यह मानसिकता में बदलाव को दर्शाता है और बेटियों और बेटों दोनों के साथ समान व्यवहार करने के साथ-साथ बेटियों

पर विश्वास जगाता है कि वे अपनी पसंद के स्थान पर अपने पसंदीदा पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए समान रूप से सक्षम हैं।

चित्र 18: नौकरी/आजीविका के अवसरों के लिए विभिन्न स्थानों पर बेटियों की आवाजाही के बारे में अवधारणा % में (N=20,178)

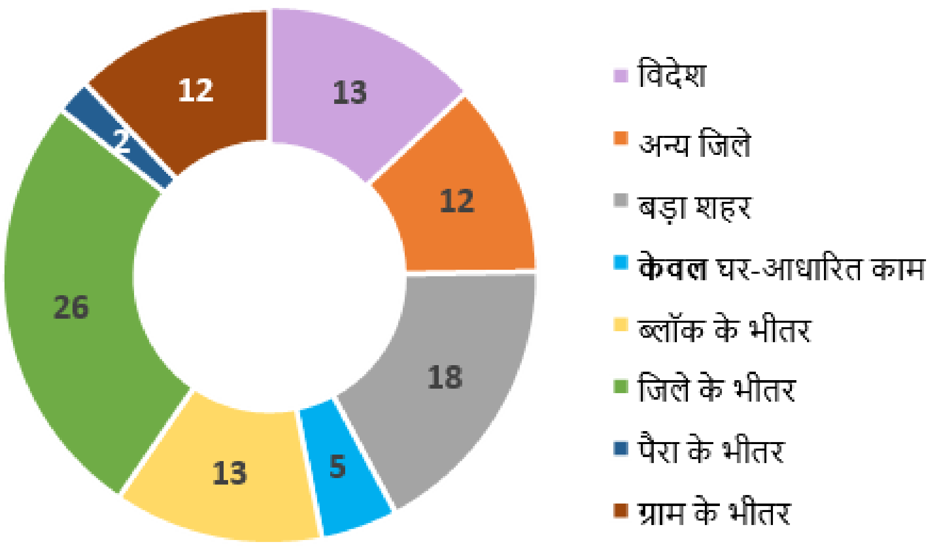

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

तीन-चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने सामुदायिक स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया तथा साथ ही पीआरआई सदस्यों के साथ बातचीत की और व्यक्तिगत/सरकारी काम के लिए अक्सर सरकारी कार्यालय का दौरा भी किया। इससे पता चलता है कि एसएचजी सदस्य सामुदायिक संस्थानों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों से अवगत हैं। लेकिन उनमें से लगभग एक-चौथाई अभी भी अनजान हैं। यह अभियान महिलाओं को विभिन्न सरकारी कार्यालयों और प्राधिकारियों की अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। महिलाएं प्रवर्तन एजेंसियों/ संस्थानों से संपर्क करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं; महिलाओं और बच्चों के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर समितियां और समूह उपलब्ध हैं।

चित्र 19: सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व % में (N=20,178)

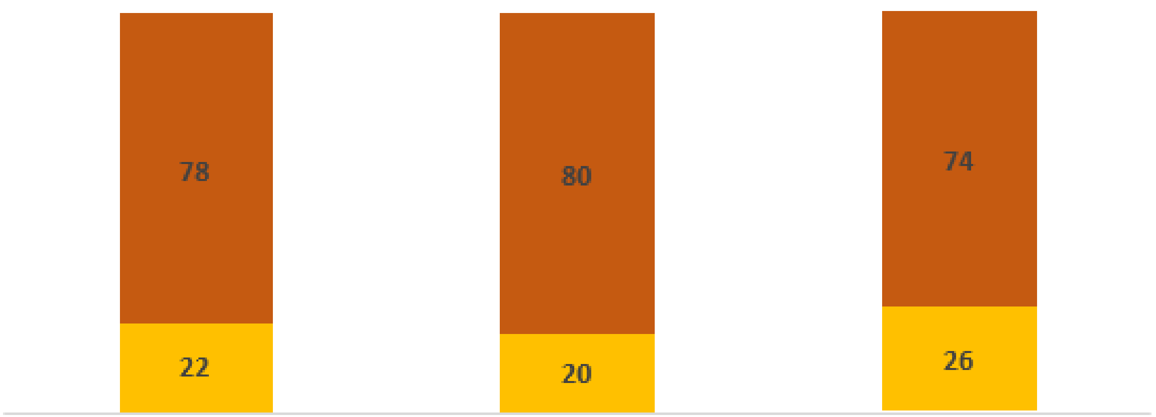

पिछले 12 महीनों में किसी सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया हो या उसमें भाग लिया हो	पंचायत सदस्यों से बार-बार बातचीत करना	व्यक्तिगत/सरकारी कार्य के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में बार-बार जाना

· हां · नहीं

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

4.2.3 लैंगिक हिंसा की पहचान और जागरूकता

त्वरित आंकलन के दौरान, अभियान पश्चात् दौर में, सभी हितधारकों, विशेष रूप से समुदाय के सदस्यों से राष्ट्रीय जेंडर अभियान के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में पूछा गया। सभी हितधारकों, एसआरएलएम के कार्यक्रम अधिकारियों और पदाधिकारियों से लेकर समुदाय के सदस्यों, महिलाओं और पुरुषों दोनों ने महसूस किया कि अभियान बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह लैंगिक हिंसा और संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है।

> '*अभियान ने हमें उन मुद्दों(लैंगिक हिंसा से संबंधित) के बारे में आवाज उठाने में मदद की है जिनका हम सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, पहले हमें पता नहीं था कि कहां जाना है या किससे इस तरह की घटनाओं को साझा करना है। इस अभियान के माध्यम से, हम बाहर जाने और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए ऐसी किसी भी घटना के बारे में सूचित करने के लिए आश्वस्त और सहज हुए हैं...*
>
> - महिला एफजीडी, पलामू जिला, झारखंड'

सामुदायिक स्तर पर लैंगिक हिंसा प्रमुख समस्याओं में से एक है, जिसका उल्लेख एसआरएलएम कार्यक्रम के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है। चर्चा के दौरान, प्रतिभागियों ने यह भी स्वीकारा कि अधिकांश हितधारक लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूक नहीं हैं। इस अभियान ने लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा शुरू की और लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में लोगों और पदाधिकारियों दोनों को जागरूक किया।

अभियान ने विभिन्न प्रकार के लैंगिक हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच प्रदान किया; समुदाय, विशेष रूप से इसके खिलाफ आवाज उठाने के महिलाओं के अधिकार; कॉल करने के लिए हेल्पलाइन/ टोल फ्री नंबर; प्रवर्तन एजेंसियों/ संस्थानों से संपर्क करने; महिलाओं और बच्चों के लिए ग्राम पंचायत/ ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समितियों और समूहों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। मुख्य रूप से, इस अभियान ने महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है, जैसा कि समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ गांवों में कुछ पदाधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान सामने आया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियान के दो मुख्य विषय - बोलना और सहायता मांगना है।

> *"इस अभियान में चर्चा किए गए और उठाए गए सभी मुद्दे हमारे चारों ओर हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इन्हें कैसे रोका जाए या कहां जाकर शिकायत दर्ज की जाए, इन मुद्दों के लिए कौन से कानूनी निकाय उपलब्ध हैं। अब हम इस अभियान की बदौलत इन पहलुओं के बारे में जानते हैं।"*
>
> *- महिला एफजीडी, पेरम्बलुर, तमिलनाडु*

> *"महिलाएं मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार या हिंसा को गंभीर मुद्दा नहीं मानती हैं। अभियान ने इस तरह की घटनाओं से कैसा निपटना है, के बारे में जागरूकता पैदा की है।"*
>
> *- आईडीआई, ब्लॉक पदाधिकारी, बिहार*

इसके अलावा, अभियान ने लैंगिक हिंसा जैसे विभिन्न प्रासंगिक और संबंधित मुद्दों पर सामुदायिक स्तर पर चर्चा शुरू की है

- लैंगिक समानता को अपनाना
- दहेज प्रथा, शराबखोरी, डायन कुप्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना
- लड़कियों (और महिलाओं) द्वारा उच्च शिक्षा आदि प्राप्त करने का महत्व।

"बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा को महत्व न देने की प्रथा हमारे समुदाय में कई दशकों से चली आ रही है। अतीत में, विभिन्न विभागों के कई अधिकारी आए और इन मुद्दों पर हमारे समुदाय को जागरूक बनाने की कोशिश की लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस अभियान के साथ, जो इन मुद्दों पर केंद्रित है और इसका लैंगिक हिंसा के मुद्दे से जुड़ाव है, यह उम्मीद की जाती है कि यदि कोई परिवार ऐसा कोई (बाल विवाह या लड़कियों द्वारा स्कूल/ कॉलेज छोड़ने) का निर्णय लेता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि अभियान के दौरान दिए गए संदेश या बातें उसे याद आएंगी और वे इस तरह की कुप्रथाओं को बढ़ावा नहीं देने का फैसला कर सकते हैं..."

- पुरुष एफजीडी, पेरम्बलुर जिला, तमिलनाडु

10 राज्यों में त्वरित गुणात्मक आंकलन के दौरान, विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा में स्पष्ट हुआ कि महिलाओं और पुरुषों दोनों ने न केवल अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि लैंगिक हिंसा के कुछ मामलों पर 'कार्य' भी किया, जो समुदाय के सदस्यों के संज्ञान में आया। वास्तव में, समुदायों ने अभियान के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दी और अभियान अवधि के दौरान लैंगिक हिंसा के मामलों की पहचान की गई और समुदाय के भीतर उन्हें हल किया गया।

अभियान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं में विश्वास पैदा करने में मदद की। बाल विवाह के मामलों को सुलझाया गया और माता-पिता ने वादा किया कि वे बेटियों के वयस्क होने से पहले उनकी शादी नहीं करेंगे। यह उस देश के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव है जहां कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है (यूनिसेफ 2016)। लैंगिक हिंसा का समाधान करने के अभियान के तहत अध्ययन वाले राज्यों के कार्यक्रम पदाधिकारियों और/या समुदाय के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट की गई ऐसी ही कुछ 'कार्रवाई' प्रस्तुत की गई है (बॉक्स देखें)। एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन मूल्यांकन से यह भी पता चला कि उत्तरदाता जागरूक थे और अपने साथियों (45%) और परिवार के सदस्यों (37%) के साथ चर्चा करने के इच्छुक थे। लगभग एक-तिहाई उत्तरदाताओं को यह भी पता था कि समुदाय में लैंगिक हिंसा की किसी भी घटना के बारे में पता होने पर उन्हें पुलिस/ उपयुक्त अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

चित्र 20: लैंगिक हिंसा घटनाओं के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी % में (N=20,178)

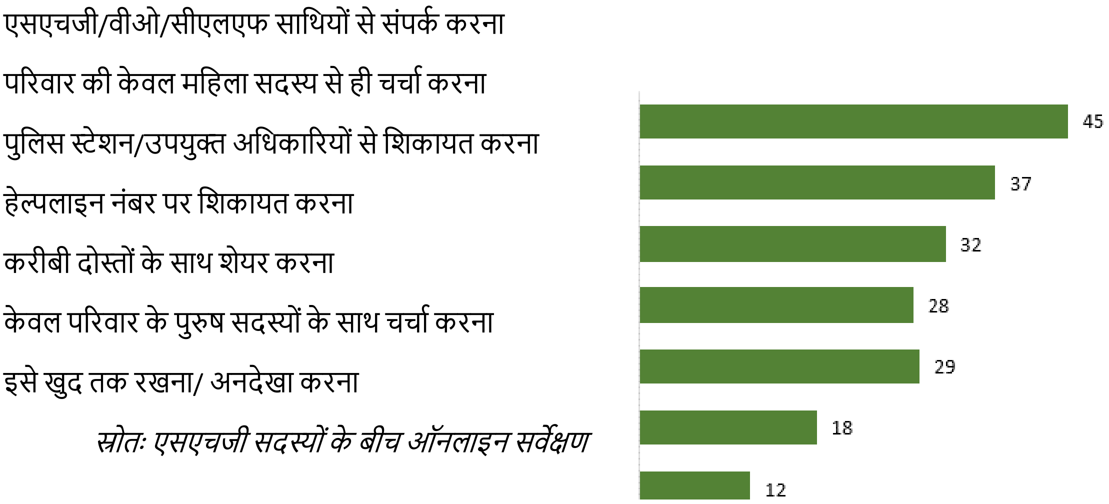

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

साइबर धमकी से बचाव

झारखण्ड के हजारीबाग जिले के एक ग्राम में पुष्पा देवी (बदला हुआ नाम), 30 वर्षीय विवाहित महिला, अपने पति, जो एक ऑटो चालक है, और दो बच्चों के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने गांव में गठित एसएचजी की सक्रिय सदस्य भी हैं। पिछले एक महीने से अभियान शुरू होने से पहले उनके पास एक अनजान नंबर से लगातार फोन आ रहा थे और वह व्यक्ति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और कुछ अश्लील वीडियो भी भेज रहा था।

पुष्पा हिचकिचा रही थी और असमंजस में थी कि इन कॉल्स के बारे में किससे बात करे, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उससे नाराज हो सकता है और समाज उसे ही दोष देगा।

जब वह इस बारे में चिंता में थी कि इससे कैसे निपटा जाए, राष्ट्रीय जेंडर अभियान शुरू हो गया और इसके तहत उसके गांव में भी विभिन्न गतिविधियां शुरू हो गईं। ऐसे ही एक कार्यक्रम, रंगोली बनाने के दौरान, पुष्पा को उसी अज्ञात नंबर से फिर से एक वीडियो प्राप्त हुआ। वह परेशान हो गई और फिर वहीं रोने लगी। उसके रोने पर अन्य एसएचजी सदस्यों ने इसका कारण पूछा। उसने साहस किया और एक अज्ञात नंबर से कॉल और वीडियो आने के बारे में खुल कर बताया। तब एसएचजी के साथी सदस्यों ने उसके पति को सूचित किया और उसके समर्थन में आने से पुष्पा को राहत मिली।

पुष्पा को उसके पति के साथ पुलिस की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या (आईएमईआई नंबर) के माध्यम से जांच की और व्यक्ति का पता लगाया। जांच में पता चला कि आरोपी शख्स 19-20 साल का युवक था और उसके गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया और इंटरनेट से सारे वीडियो डिलीट करवा दिए।

हालांकि, उसकी कम उम्र को देखते हुए, गांव के समाज के सदस्यों ने पुष्पा और उसके पति के परामर्श से पुलिस अधिकारियों से उसे जाने देने का अनुरोध किया, लेकिन कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी, यदि वह किसी के साथ भविष्य में इस तरह का अपराध दोहराता है।

बाल विवाह की रोकथाम

रमा देवी, **बिहार** के नालंदा जिले के एक ग्राम में एसएचजी सामुदायिक मोबिलाइजर है, ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। लैंगिक हिंसा और संबंधित मुद्दों पर समुदाय की महिलाओं के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान, कुछ महिला प्रतिभागियों ने साझा किया कि उनके ग्राम में पीआरआई वार्ड सदस्यों में से एक अपनी 15 वर्षीय बेटी की शादी के लिए दूल्हे की तलाश कर रही थी।

यह सुनकर और बाल विवाह को एक कानूनी अपराध और समाज में लैंगिक हिंसा के कारकों में से एक होने के प्रति जागरूक होने पर, उसने चुप नहीं रहने का फैसला किया। उसने जल्द से जल्द अपने ग्राम के जेंडर सीआरपी और सरपंच से संपर्क किया और इसकी सूचना दी। समता सखी (जेंडर सीआरपी) और ग्राम के सरपंच के साथ उन्होंने लड़की के पिता वार्ड सदस्य से संपर्क किया।

वार्ड सदस्य से मिलने पर, उन्होंने अपने आने के उद्देश्य के बारे में बताया, बाल विवाह के लाभ और हानि के बारे में बताया, और कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले अपनी बेटी की शादी नहीं करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। राष्ट्रीय जेंडर अभियान के बारे में सूचित करते हुए, उन्होंने उसे अभियान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और लैंगिक हिंसा और समाज में इस तरह की हिंसा में योगदान देने वाले कारकों के बारे में अधिक जानकारी दी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार माता-पिता इस बात पर राजी हो गए कि वे अपनी बेटी की शादी उसके 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे।

दहेज की मांग के खिलाफ कार्रवाई

जगतसिंहपुर, **ओडिशा** में अभियान के दौरान एसएचजी की एक बैठक में समुदाय की कुछ महिलाओं द्वारा दहेज का मामला दर्ज किया गया था। एक नवविवाहित महिला को शादी के कुछ दिनों के भीतर ही दहेज के लिए अपने पति और उसके परिवार से शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि महिला ने अपने माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी, लेकिन उसका दर्द ना बढ़े इसलिए उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की।

एसएचजी की एक बैठक के दौरान, एक महिला-सदस्य, जो संबंधित महिला की पड़ोसी भी है, ने एसएचजी के साथी सदस्यों के साथ इसे साझा किया। एसएचजी सदस्यों ने इसके बारे में समता सखी (जेंडर सीआरपी) को सूचना दी। जेंडर सीआरपी ने महिला और उसके परिवार से मुलाकात की तथा उन्हें पुरुष और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया। पुलिस व सखी केंद्र के सहयोग से दूल्हा-दुल्हन के परिजनों के बीच मुलाकात कराकर मामले को सुलझाया गया। औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज होने पर दहेज उत्पीड़न कानून के तहत संभावित कानूनी कार्रवाई के बारे में दूल्हे के परिवार को भी जागरूक किया गया।

शराब के विरोध में आवाज उठाना

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक ग्राम में घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण शराब है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा लंबे समय से देख रही थी कि उसके ग्राम में पुरुषों का एक समूह देशी शराब बेचने का अवैध धंधा चला रहा है। नतीजतन, उसके ग्राम के ज़्यादातर अधिक पुरुष शराब के आदी हो रहे थे और उस पर पैसा बर्बाद कर रहे थे। कम कमाई के कारण, इन पुरुषों के परिवारों को बहुत अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और इस मुद्दे पर पति और पत्नी के बीच टकराव हो रहा था तथा परिवार में घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही थी।

आशा, जैसा कि उन्होंने बताया, चिंतित होने के बावजूद अपने ग्राम में देशी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि देशी शराब बेचने और पीने में शामिल लोग रसूखदार थे और उनका दबदबा था।

राष्ट्रीय जेंडर अभियान उसके लिए एक अच्छा अवसर बनकर आया! अभियान के दौरान लैंगिक हिंसा और संबंधित कारकों के खिलाफ शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र में ही हुआ। जब सभी प्रतिभागियों के सामने शराबबंदी का मुख्य संदेश पढ़ा गया, जिसमें एसएचजी सदस्य, अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ सरपंच और अन्य पीआरआई सदस्य शामिल थे, तो आशा ने स्थिति का लाभ उठाया और ग्राम में अवैध देशी शराब के कारोबार की बात की। इस कार्रवाई की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसका उल्लेख सार्वजनिक मंच पर हुआ था। सरपंच ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा के साहस के कारण ग्राम में देशी शराब की अवैध बिक्री बंद हो गई है।

एसआरएलएम के पदाधिकारियों को भी इस तरह के अभियान की जरूरत वाकई महसूस हुई। उनका मानना था कि लैंगिक हिंसा का समाधान करने की दिशा में यह पहला कदम है क्योंकि लगभग हर घर में महिला को किसी न किसी तरह की हिंसा जैसे मौखिक या शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है लेकिन महिलाएं इन हिंसा को गंभीर अपराध नहीं मानती हैं। इस अभियान ने लोगों को लैंगिक हिंसा और इससे कैसे निपटना है, के बारे में जागरूक करने के लिए एक मंच तैयार किया है।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुरुषों द्वारा लड़कों का भी यौन उत्पीड़न किया जाता है और यह अभियान के दौरान उनके संज्ञान में आया है।

पहले गांवों के लोग लैंगिक हिंसा से अनजान थे... अभियान के दौरान, महिलाओं को विशेष रूप से लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया... कई महिलाएं ऐसी कई घटनाएं, जिन्हें वे नजरअंदाज कर देती थीं या गंभीरता से नहीं लेती थीं, लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। इस अभियान ने महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने में भी मदद की है।

- आईडीआई, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, छत्तीसगढ़
- आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, आंध्र प्रदेश

इस अभियान से घरेलू हिंसा, लड़कियों की शिक्षा, पुरुष-महिला भेदभाव जैसे कई मुद्दे सामने आए हैं। लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों के अलावा, एसआरएलएम लैंगिक समानता कार्यक्रम के अपने व्यापक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए लैंगिक हिंसा का समाधान और हल करने के लिए अधिक जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) की स्थापना को अपनी कार्य-योजना का हिस्सा बना रहे हैं।

कुल मिलाकर, कार्यक्रम के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा से, अभियान की प्रासंगिकता स्पष्ट है क्योंकि अभियान का प्रभाव सभी हितधारकों पर कई रूप में पड़ने की उम्मीद थी।

"अब इस अभियान के माध्यम से हमने समस्या होने पर समुदाय की सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न विभागों के बारे में जागरूकता पैदा की है... हमने महसूस किया है कि जब लोग घर या बाहर किसी हिंसा का सामना करते हैं तो वे हमसे मदद लेने आते हैं।"

- आईडीआई, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कराईकल, पुडुचेरी

एक, अभियान ने जागरूकता पैदा की और समुदाय के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं को लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूक बनाया; दूसरा, लैंगिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना और अगर आरोपियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाती है, तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ-साथ सहायक अधिकारियों के साथ बातचीत करना।

तीसरा, राज्य/जिला से लेकर सीएलएफ/वीओ स्तर तक लैंगिक हिंसा पर विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम अधिकारियों को जागरूक बनाना।

झारखंड के राज्य नोडल अधिकारी ने साझा किया, "समुदाय की महिलाएं सामने आ रही हैं और लैंगिक हिंसा के खिलाफ मामले और शिकायतें दर्ज करा रही हैं। उन्होंने एक ऐसे मामले पर प्रकाश डाला जहां एक धार्मिक नेता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और समुदाय के लोगों ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जिसने यह अपराध किया था क्योंकि समुदाय पर उसका प्रभाव था। लेकिन प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उजागर किया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।"

4.3 अभियान की प्रभावशीलता

तीसरा मूल्यांकन घटक, अभियान की प्रभावशीलता को विभिन्न वर्गों जैसे पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और समुदाय के अन्य लोगों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता के कारण की गई कार्रवाई को प्रतिबिंबित करने के लिए देखा गया। अभियान की गतिविधियों की समाप्ति और अभियान के बाद के त्वरित आंकलन दौर के बीच समय का कम अंतर होने के कारण, 'कार्रवाई करने का इरादा', यदि अध्ययन प्रतिभागियों द्वारा साझा किया गया, लैंगिक हिंसा के खिलाफ अभियान से प्राप्त जानकारी के आधार पर था, जिसे अभियान की प्रभावशीलता के लिए विशेषता के रूप में माना गया।

लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने और लैंगिक हिंसा पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए अभियान ने न केवल महिलाओं और लड़कियों को बल्कि पुरुषों और युवा लड़कों को भी प्रभावित किया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि पुरुष और युवा लड़के समुदाय में हो रहे लैंगिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं।

लैंगिक हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ अभियान, कुछ उत्तरजीवियों के साथ-साथ महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच झिझक को कम करने के लिए एक मंच प्रदान करने में सक्षम रहा है, जो अध्ययन वाले राज्यों में अपने समुदायों

में किसी भी लैंगिक हिंसा घटनाओं के बारे में जानते थे और लैंगिक हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आगे आए, जो मूल्यांकन दौरों के दौरान आयोजित समूह चर्चाओं में उभरा।

4.3.1 संदेश याद रखे गए और उन पर कार्रवाई की गई

क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सभी ने दृढ़ता से महसूस किया कि समुदाय को लैंगिक हिंसा की किसी भी घटना के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और साथ ही जेंडर भेदभाव को कम करने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जिसके कारण लैंगिक हिंसा होती है। इससे पता चलता है कि लोग इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि लैंगिक हिंसा उनके समुदाय में प्रचलित है जो अभियान के मुख्य घटकों में से एक से जुड़ा है। अभियान के प्रमुख संदेशों को समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागियों महिलाओं और लड़कियों के साथ-साथ पुरुषों और लड़कों द्वारा भी याद रखा गया। याद रखने और उनका पालन करने का इरादा रखने वाले कुछ प्रमुख संदेश थे:

- लड़के और लड़ककयों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए
- पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार हैं
- बेटी और बहू एक-समान हैं

> *"नया सवेरा, नया काम ये नारा... बेटी और बहू को एक- समान माना गया है........"*
>
> *- महिला एफजीडी, छत्तीसगढ़- आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, आंध्र प्रदेश*

- चुप्पी तोड़ो और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाओ
- पुरुषों और महिलाओं को मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए
- महिलाओं को अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए
- दहेज प्रथा को खत्म करें
- लड़की को पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करनी चाहिए।

> *"दहेज प्रथा बंद करो.... एक लड़की पढ़ जाएगी तो सात पीढ़ी पढ़ जाएगी... ।"*
>
> - पुरुष एफजीडी, झारखंड-आईडीआई, एसआरएलएम अधिकारी, आंध्र प्रदेश

- पति और पत्नी एक-समान हैं और एक दूसरे का सम्मान करें
- कन्या भ्रूण हत्या बंद करो
- हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं और आत्मरक्षा सीखें

4.3.2 निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका

अभियान की प्रभावशीलता का आंकलन महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर या उनके दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका क्या है, इस पर एसएचजी सदस्यों की राय से भी किया गया था।

जैसा कि एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन मूल्यांकन सर्वेक्षण से पता चला है, 60 प्रतिशत या अधिक उत्तरदाताओं को लगता है कि एक महिला को अपने जीवन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी बात रखनी चाहिए जैसे कि उसके या उसके पति/साथी द्वारा अर्जित धन खर्च करना या घरेलू संपत्ति खरीदना। लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि एक महिला को अपनी स्वास्थ्य देखभाल या जरूरतों के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए।

गौरतलब है कि लगभग एक-तिहाई या अधिक एसएचजी सदस्यों ने महसूस किया कि एक महिला से संबंधित मुद्दों पर, उसके **'पति/साथी को अकेले' निर्णय लेना चाहिए।**

चित्र 21: महिला सशक्तिकरण और निर्णय लेना % में (N = 20,178)

अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के बारे में निर्णय

प्रमुख घरेलू खरीदारी करने के बारे में निर्णय

अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय

पति या साथी द्वारा कमाए गए धन के उपयोग पर निर्णय

स्वयं से अर्जित धन के उपयोग पर निर्णय

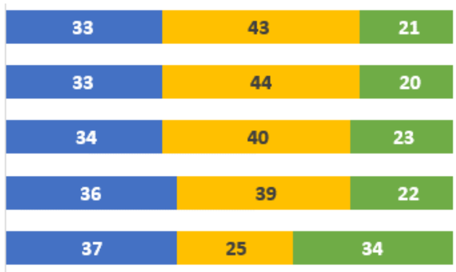

· केवल पति/साथी · उत्तरदाता और पति/साथी संयुक्त रूप से · केवल उत्तरदाता (स्वयं)

स्रोतः एसएचजी सदस्यों के बीच ऑनलाइन सर्वेक्षण

4.3.3 परिवार और पड़ोसियों के बीच चर्चा को प्रोत्साहन

अभियान ने ग्रामीण समुदाय की महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लैंगिक हिंसा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है और लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर सामुदायिक मंचों पर चर्चा शुरू की है जो अभियान के मुख्य विषयों में से एक है अर्थात् **आवाज उठाएं।**

"हमने उन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को सूचित किया जो राष्ट्रीय जेंडर अभियान में शामिल नहीं हो सके और अभियान में लैंगिक हिंसा पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके साथ चर्चा की और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से उन्हें पोस्ट भी किया..."

- एफजीडी, महिला, गुंटूर, आंध्र प्रदेश

समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान, अभियान के तहत परिवार, पड़ोसियों और साथियों के समूहों के बीच लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की सूचना मिली।

- परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों में (सभी राज्य)
- स्कूली छात्रों द्वारा सहकर्मी समूह के बीच चर्चा (पुडुचेरी, झारखंड, मध्य प्रदेश)
- व्हाट्सएप समूहों में शिक्षक का साथी शिक्षकों के बीच संदेश साझा करना (तमिलनाडु, ओडिशा)
- पुरुषों का सहकर्मियों/ दोस्तों के साथ चर्चा करना (पुडुचेरी, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश)

4.3.4 जेंडर संसाधन केंद (जीआरसी) और इसका महत्व

डीएवाई एनआरएलएम महिलाओं की आवाज, पसंद और एजेंसी को सुदृढ़ करने के लिए महिला संस्थानों के विकास पर भारी निवेश करता है। महिलाओं की समस्या के उचित निवारण के लिए एक ठोस मंच के रूप में ब्लॉक स्तर पर जेंडर संसाधन केंद्र की स्थापना की गई, और विकास योजना की संरचना के भीतर जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए शासन के साथ बातचीत की गई।

हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के कारण विकास की गति धीमी हो गई है। चयनित राज्यों में इस अभियान के तहत भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आधारित अनुभवों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित मंच सुनिश्चित किया गया है जिसमें महिलाओं के लिए जीआरसी के व्यवस्थित महत्व को बढ़ावा दिया गया है।

अभियान के तहत देश के 13 राज्यों में 165 जीआरसी का उद्घाटन किया गया। विशेष रूप से, अध्ययन वाले दस राज्यों में, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर, निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए कुल 63 जीआरसी का उद्घाटन किया गया।

पहले से ही पंचायत स्तर पर, एसएसी समितियां मौजूद हैं और महिलाओं द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, ताकि महिलाओं के लिए अन्य महिलाओं के साथ जुड़ना आसान हो और वे जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रही हैं, उसे समझ सकें। एसएसी आगे जीआरसी को बैठक के बारे में सूचित करता है और वे कई मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। राष्ट्रीय जेंडर अभियान ने एसएसी सदस्यों के कामकाज में सुधार किया है और जीआरसी के साथ अधिक निकटता से काम करने के लिए जेंडर प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमता का निर्माण किया है।

एक जेंडर संसाधन केंद्र का उद्घाटन 23 नवंबर को हुआ। जीआरसी सदस्य और ग्राम स्तर एसएसी पहले समूह स्तर पर गांवों के मामलों को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे और यदि समाधान नहीं होता है तो वे कानूनी और पुलिस अधिकारियों के पास जाएंगे।

- आईडीआई, प्रखंड समन्वयक, छत्तीसगढ़

झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लैंगिक हिंसा मुद्दों को हल करने के लिए कुछ ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गईं। उदाहरण के लिए, झारखंड में डायन हत्या की कुप्रथा को खत्म करने के लिए 'गरिमा' परियोजना पहले चयनित ब्लॉकों (प्रायोगिक आधार) में की गई थी, लेकिन अभियान के साथ, राज्य सभी ब्लॉकों में जेंडर न्याय केंद्र (जीजेसी) का विस्तार करने की योजना बना रहा है। अभियान के साथ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, *समता सखियों* को अपने संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं के बीच लैंगिक मुद्दों को उठाने के लिए नियमित जेंडर सत्र आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि कार्यक्रम के अधिकारियों द्वारा साझा किया गया है, राज्य प्राथमिकता के आधार पर लैंगिक मुद्दों और हिंसा पर नज़र रखने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के लिए गतिविधियों और नियमित प्रशिक्षण के साथ-साथ जिला स्तरीय समितियों की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं।

लैंगिक हिंसा और अन्य अधिकारों और पात्रताओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन में जीआरसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में पुलिस, कानून आदि जैसे कई संबंधित विभागों के साथ संवाद के साथ-साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है। इस प्रकार, लैंगिक हिंसा का समाधान करने के लिए जीआरसी का विशेष महत्व है।

अध्याय 5

आगे की सीख

5.1 दूरदर्शिता और स्वॉट विश्लेषण

राष्ट्रीय जेंडर अभियान ने लैंगिक हिंसा पर विशेष ध्यान केंद्रित करने में मदद की है और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बड़े पैमाने पर जेंडर संबंधी व्यवहार परिवर्तन लाने की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सक्षम बनाया है। इस अभियान की कल्पना समुदाय को जोड़ने और जन आंदोलन के माध्यम से लैंगिक हिंसा के लिए व्यवहार परिवर्तन का समर्थन करने के लिए की गई थी, जिसमें केवल सरकारी वितरण तंत्र के अलावा समुदाय में निहित प्रयासों का स्वामित्व था।

अभियान के परिणामों को सफल बनाने के लिए, विभिन्न कारकों ने अभियान को अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने के साथ-साथ अभियान समाप्त होने के बाद समुदाय-कार्रवाई का समर्थन करने में सक्षम बनाया।

5.1.1 अभियान के लिए सहायक कारक

❑ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति

- सरपंच, वार्ड सदस्य (सभी राज्यों में), विधानसभा सदस्य (विधायक, ओडिशा), जिला परिषद सदस्य (उत्तर प्रदेश, झारखंड) और राज्यसभा सांसद के जिला प्रतिनिधि (लोहरदगा, झारखंड के एक ब्लॉक में) जैसे स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने अभियान, बैठकों और रैलियों के शुभारंभ में भाग लिया और जीआरसी का उद्घाटन किया।
- अभियान के शुभारंभ के दौरान कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों ने भाग लिया और अभियान के सुचारू संचालन को भी देखा।

- लैंगिक हिंसा के मुद्दों पर आवाज उठाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए महिला समूहों को प्रेरित किया। इससे लैंगिकता पर एसआरएलएम के कार्य को गति मिली है। अभियान ने संस्थानों को समुदाय की इन बढ़ती जरूरतों के लिए रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया है।

- जीआरसी की स्थापना धीरे-धीरे हो रही है। 32 राज्यों ने बेहतर सेवा प्रावधान और अंतिम मील दूरी संपर्क के लिए सम्बंधित विभागों के साथ परस्पर सामंजस्य प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं।

- सामाजिक मानदंडों में बदलाव, उदाहरण के लिए लगभग दो-तिहाई एसएचजी सदस्य (64%) इस बात से असहमत थे कि पत्नियों की तुलना में पतियों को अधिक शिक्षित होना चाहिए।

❑ सामुदायिक समर्थन और भागीदारी उत्साहजनक थी

- आम जनता, युवा और वयस्क, पुरुष और महिलाएं दोनों, जो समाज के विभिन्न वर्गों और मुख्य रूप से ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अपने समाज से लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने तथा उसमें तेजी लाने के लिए अभियान अवधि के दौरान शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया।

- अभियान के दौरान समुदाय के पुरुष सदस्यों का समर्थन और विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय और उत्साहजनक थी। पुरुषों और लड़कों दोनों, जैसा कि चर्चा के दौरान देखा गया, अभियान के विषय, यानी समाज से लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के पक्ष में थे।

❑ विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परस्पर सामंजस्य और सहयोग

- परस्पर सामंजस्य प्रयासों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 14 संबंधित मंत्रालय और विभाग साथ आए और अभियान के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को आवश्यक दृश्यता और स्पष्टता प्रदान की। अभियान गतिविधियों को उजागर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग भी किया गया।

❑ राज्य, जिला ब्लॉक और सीएलएफ की सक्रिय भागीदारी

- अभियान में 32 राज्यों के 560 जिलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
- जबकि 44% सीएलएफ ने सक्रिय रूप से अभियान गतिविधियों का संचालन किया और कुल विस्तार क्षेत्र में से लगभग 45% एनआरएलएम परिवारों तक पहुंच बनाई।

5.1.2 अभियान के लिए चुनौतीपूर्ण कारक

❑ स्थानीय रूप से प्रासंगिक मुद्दों को उजागर करने के लिए संदेशों और प्रचार सामग्री को प्रासंगिक बनाने के लिए लॉन्च पूर्व तैयारी, अभियान गतिविधियों और एमआईएस के बारे में टीम के सदस्यों को जानकारी देना आदि के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

- एसआरएलएम के कार्यक्रम अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान यह पाया गया कि अभियान का पहला वर्ष होने के कारण, इस तरह के प्रासंगिक मुद्दे पर अभियान में समुदाय और महिलाओं की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी के लिए विशेष रूप से तैयारी की आवश्यकता थी जिसके लिए और समय चाहिए था।
- अभियान के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में देरी हुई।
- लैंगिक हिंसा पर भी सीमित जागरूकता और कार्यक्रम संवर्गों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

❑ अभियान-मोड अर्थात् अल्पावधि गतिविधियां समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए लैंगिक हिंसा की घटनाओं को साझा करने और इसके खिलाफ बोलने के लिए सक्षम और सुविधाजनक वातावरण बनाने की चुनौती पेश करती हैं। गतिविधियों के बाद की कार्रवाई के बारे में स्पष्टता नहीं थी।

❑ विभिन्न राज्यों में त्यौहारों, कृषि मौसमों जैसे विभिन्न कारकों के कारण लोगों की एकजुटता और उपलब्धता कठिन थी।

5.1.3 लैंगिक हिंसा पर भावी अभियान के लिए दूरदृष्टि

❑ सामुदायिक भागीदारी के लिए

- समुदाय के सदस्यों को लैंगिक हिंसा और अन्य आपस में जुड़े मुद्दों जैसे कि लड़कियों की उच्च शिक्षा, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन, ताश खेलने के दुष्प्रभाव पर संदेशों को प्रासंगिक/स्थानीय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अभियान के वांछनीय परिणामों को बनाए रखने और अभियान के स्वामित्व को समुदाय में स्थानांतरित करने में मदद करेगा।
- लैंगिक हिंसा पर स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर छात्रों को जागरूक बनाना। यह वाद-विवाद और चर्चाओं के आयोजन के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक हिंसा के खिलाफ डिजिटल सामग्री साझा करके हो सकता है। छात्रों को उन्हें अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ समुदाय की प्रतिबद्धता को वांछित गति देने के लिए एसएचजी बैठकों और ग्राम सभाओं में नियमित अंतराल पर बाद में होने वाली कार्रवाई करें।

❑ नीति निर्माताओं के लिए

- वार्षिक कार्य-योजना को शामिल करके अभियान गतिविधियों के आधिकारिक लॉन्च से पहले पर्याप्त तैयारी समय देना।
- प्रासंगिक संदेश: एसएचजी सदस्यों के परामर्श से, अभियान के हर दौर के लिए, अपने समुदाय से संबंधित मुद्दों और विषयों के अनुसार संदेशों को प्रासंगिक बनाने के लिए अग्रिम रूप से योजना बनाएं।
  - एसआरएलएम को सामुदायिक स्तर के मंचों पर संदेशों को याद करने के लिए नियमित चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- लैंगिक हिंसा पर पीआरआई सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर राज्यों में पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर काम किया जा सकता है।
- लैंगिक हिंसा पर अधिक केंद्रित गतिविधियों के लिए नियमित अंतराल पर सभी राज्यों में ब्लॉकों में जीआरसी खोलने के लिए अधिक ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
- राज्यों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जैसे कि धार्मिक/पंथ नेता, स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर छात्र, एलजीबीटीक्यू व्यक्ति, दिव्यांगजन, साथ ही सीएसओ और सीबीओ के माध्यम से संस्थागत भागीदारी।
- अभियान के अगले दौर के संदेशों में समुदाय द्वारा सुझाए गए मुद्दों को शामिल करना: शराब और नशीली दवाओं की लत, जुआ, छेड़खानी, साइबर धमकी और साइबर अपराध।
- जब वे भविष्य में ऐसा जेंडर अभियान करें तो राज्यों सहित एनआरएलएम के लिए सिफारिशों के एक समूह के साथ तैयार रेकनर विकसित करें।

5.1.4 आगे की सीख

अगले दौर में अभियान के दायरे को अधिकतम करने के लिए, उन कारकों, जिन्होंने अभियान में सहायता की है या उसे सीमिति किया है को ध्यान में रखते हुए अभियान की उपलब्धियों और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कमियों के साथ-साथ उपलब्ध अवसरों की पहचान की गई। इस संबंध में, गुणात्मक चर्चाओं से अभियान की शक्तियों और कमजोरियों का आंकलन करने के लिए स्वॉट विश्लेषण किया गया; राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अभियान के भावी दौर में इसका समाधान करने के लिए खतरों की पहचान करते हुए अवसरों का उपयोग किया जाएगा।

शक्तियां

एसएचजी की भागीदारी ने दूरस्थ स्थानों में रह रहे समुदाय के सदस्यों तक पहुंचने में मदद की

संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परस्पर सामंजस्य - लगभग 14 संबंधित विभागों ने अभियान के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें भाग लिया।

एसएचजी सदस्यों और वंचित **समुदाय के नेतृत्व में जुड़ाव** और भागीदारी

अभियान में महिलाओं और लड़कियों के साथ पुरुषों और लड़कों की समान भागीदार के रूप में भागीदारी।

मास मीडिया का उपयोग: अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया चैनल और प्लेटफॉर्म।

अभियान गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए **एमआईएस का उपयोग**; बैक-एंड स्पोर्ट सिस्टम (एनआरएलएम/एसआरएलएम) स्थापित है।

अभियान का समय उपयुक्त था और यह वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने में भी सहायक था।

कमियां

राज्यों के लिए तैयारी का कम समय (यह अभियान के पहले वर्ष के कारण हो सकता है) - *अनुमति के लिए पत्र; आईईसी सामग्री के साथ अनुरूपता; बजट शीर्ष के तहत उपयोग के में समय लगा,* जिसने अभियान के पहले सप्ताह में वांछित गति को प्रभावित किया।

चैनल (ब्लॉक/सीएलएफ/वीओ) तक पहुंचने के लिए लैंगिक हिंसा से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ पीआरआई प्रतिनिधियों के कार्यक्रम अधिकारियों को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।

सीएलएफ स्तरों पर एमआईएस डेटा प्रविष्टि से लैस होने के लिए अधिक प्रशिक्षण समय की आवश्यकता है। समय पर प्रवेश से गतिविधियों का अधिक समान रूप से संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

अवसर

सामुदायिक स्तरों पर **धार्मिक, आध्यात्मिक और राय देने वाले नेताओं को जोड़ें**

चर्च और आश्रम जैसे **धार्मिक संस्थानों को शामिल** किया जा सकता है क्योंकि वे समुदाय में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों/ कॉलेजों को भी शामिल करें

महिलाओं और अन्य जेंडर द्वारा **लैंगिक हिंसा घटनाओं को साझा करने को प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक मंचों पर अधिक चर्चा को बढ़ावा दें**।

पाठ्यक्रम में **लैंगिक हिंसा पर दिव्यांग बच्चों** (सीडब्ल्यूएसएन) **सहित स्कूली छात्रों** और विशेष रूप से सरकारी/ राज्य-बोर्ड स्कूलों में नियमित चर्चा/ बहस के माध्यम से **जागरूक बनाना**

जोखिम

चुनाव, त्योहारों, कृषि मौसमों, प्राकृतिक आपदाओं/ महामारी जैसे मुद्दों के लिए **मानव/वित्तीय संसाधनों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन**

मध्यावधि सुधारात्मक उपाय करने के लिए **अखिल भारतीय अभियान के सभी स्थानों पर एक-साथ और एक-समान निगरानी और रिपोर्टिंग करना चुनौतीपूर्ण है।**

विभिन्न नियमित गतिविधियों में कैडरों को शामिल करना और अभियान गतिविधियों को अपनाना, यदि योजना नहीं बनाई गई तो अभियान में बाधा उत्पन्न होगी।

अभियान के इस दौर के दौरान उठाए गए /पहचाने गए लैंगिक हिंसा मुद्दों को हल करने में कम अनुवर्ती कार्रवाई/विलंब, जो अभियान के अगले दौर में सामुदायिक भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती है।

5.2 भावी दौरों के लिए सुझाव

त्वरित मूल्यांकन के दो दौरों के आधार पर, एनआरएलएम और एसआरएलएम के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/ विभागों, जिला प्रशासनों और विकास भागीदारों के सामनेन कई अनुशंसा की जा रही है। यह आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और प्रभावशीलता में तेजी लाने के प्रयासों को एक साथ लागू करने में मदद करेगा।

अभियान के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परस्पर सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर संस्थागत प्रणाली के निर्माण के लिए नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है।

अभियान के चार घटकों के अनुरूप, भावी दौरों के लिए अभियान गतिविधियों की रणनीति बनाने, सिफारिशों को मोटे तौर पर निवारक गतिविधियों और लैंगिक हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक उपायों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निवारक गतिविधियों में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो समुदाय में सबसे पहले लैंगिक हिंसा घटनाओं की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने और लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों पर समुदाय के विभिन्न वर्गों को जागरूक बनाने के साथ-साथ प्रभावित करने वालों और सामुदायिक स्तर के संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए तथा लैंगिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता दिखाने, आवाज उठाने और एकजुट होने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, लैंगिक हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक उपायों में लैंगिक हिंसा की घटनाओं के खिलाफ ठोस और त्वरित कार्रवाई के लिए संस्थागत समर्थन प्रणाली की स्थापना करके निवारण तंत्र का गठन करना तथा एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करने के लिए उदाहरण स्थापित करना शामिल है। विशेष रूप से भावी दौरों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए,

क: निवारक गतिविधियां:

- राज्य से समुदाय स्तर तक, सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार के लैंगिक हिंसा और आपस में जुड़े मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। समुदाय को उनके

अधिकारों और कानूनों/ अधिनियमों के बारे में सूचित रखना और सहायता के लिए उपयुक्त प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए।

- लैंगिक हिंसा और संबंधित मुद्दों के खिलाफ गतिविधियों में भाग लेने के लिए विविध-जेंडर समूहों, दिव्यांगजनों, विभिन्न आयु समूहों, विशेष रूप से किशोरों और युवाओं सहित समुदाय के **सभी वर्गों को शामिल करना चाहिए**।
- सहयोगी एजेंसियों के रूप में सीएसओ/ सीबीओ को शामिल करके स्कूलों, कॉलेजों, विशेष रूप से ग्राम/खंड स्तरों पर लैंगिक हिंसा पर नियमित सत्र आयोजित करना।
- अपने समुदायों में लैंगिक हिंसा की घटनाओं पर नजर रखने और समुदाय के सदस्यों को मदद के लिए पहला संपर्क बिंदु बनने के लिए पीआरआई (ईडब्ल्यूआर)/यूएलबी सदस्यों, शिक्षकों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, धार्मिक/पंथ नेताओं जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रभावशाली लोगों से क्षमता निर्माण सहायता के लिए संपर्क करना।
- दीर्घावधि आधार पर लैंगिक हिंसा से संबंधित शिकायत निवारण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की उपलब्ध सहायता प्रणाली पर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करना।

ख: जवाबी उपाय

- संज्ञान में आईं लैंगिक हिंसा की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से जुड़कर लैंगिक हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए बहु-क्षेत्रीय समर्थन प्रणाली की स्थापना करना।
- अपने समुदायों में लैंगिक हिंसा की घटनाओं के मामले में उपचारात्मक कार्रवाई के मामले में संपर्क करने के लिए एसएचजी सदस्यों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जोड़ना।
- लैंगिक हिंसा से पीड़ित एवं संघर्षशील व्यक्ति को लैंगिक हिंसा और इसके अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करना।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ की गई गतिविधियों का एक डेटाबेस तैयार करने के साथ-साथ लैंगिक हिंसा की रिपोर्ट की गई घटनाओं और कार्रवाई की गई रिपोर्ट की अद्यतन सूची बनाए रखने के लिए एक गतिशील एमआईएस डैशबोर्ड प्रदान करें।
- **जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी)** लैंगिक हिंसा सहित जेंडर संबंधी मुद्दों पर समुदाय के संवेदीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। जीआरसी को खोलना और इसे महिलाओं के लिए सुलभ बनाना, जो विशेष रूप से समाज के निर्बल और कमजोर वर्गों से, समुदाय के सदस्यों को लैंगिक हिंसा तक पहुंचने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा, जिसे अक्सर सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता है और महिलाएं, विशेष रूप से, सार्वजनिक स्थान में चर्चा करने में झिझकती हैं।
- पंजीकृत मामलों की निगरानी करने, अनुवर्ती कार्रवाई करने, प्रगति की निगरानी करने के लिए **नामित अधिकारी की भूमिका**।

विशेष रूप से, समुदाय, राज्य (एसआरएलएम) और राष्ट्रीय (एनआरएलएम-एनएमएमयू) स्तरों पर कार्रवाई के लिए सिफारिश नीचे दी गई है।

5.2.1 समुदाय के लिए सुझाव

एसएचजी बैठकों में लैंगिक हिंसा पर नियमित/ बार-बार चर्चा: ये बैठकें महिलाओं को चुपचाप सहन करने के बजाय अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। यह आगे लैंगिक मुद्दों के बारे में बात करने के लिए समुदाय के बीच सामंजस्य लाने में भी मदद करेगा।

लैंगिक हिंसा पर अपने संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **पीआरआई सदस्य/राय बनाने वाले नेताओं के साथ बातचीत करें** क्योंकि पीआरआई संपर्क का पहला बिंदु हैं। पीआरआई/यूएलबी प्रतिनिधि परिवार और सामुदायिक स्तरों पर लैंगिक हिंसा को कम करने के लिए अपने समुदायों का समर्थन करने के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे हल करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मामले को उठाते हैं।

सभी वर्गों और आयु समूहों को जागरूक बनाने, भाग लेने, साझा करने और हल करने के लिए **लैंगिक हिंसा के खिलाफ नियमित गतिविधियों** का आयोजन करें। यह आगे लैंगिक हिंसा पर वांछित चर्चा को लोगों तक पहुंचाने और ऐसे संस्थानों का निर्माण करना सुनिश्चित करेगा जो अधिक सामंजस्यपूर्ण हों।

संस्थागत तंत्र के बारे में जानकारी: समुदाय और एसएचजी को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से संस्थागत तंत्र के बारे में और सहायता प्राप्त करने और हेल्पलाइन का उपयोग करने, वन स्टॉप सेंटर आदि का उपयोग करने के लिए जेंडर चैंपियंस, जीआरसी आदि के साथ सहयोग करें। उन्हें लैंगिक हिंसा को उनके समुदायों से खत्म करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।

5.2.2 राज्य स्तर/ एसआरएलएम के लिए सुझाव

लैंगिक हिंसा पर लैंगिक प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए **एकीकृत कैलेंडर विकसित किया जाए,** जीआरसी और संबंधित विभागों की भूमिका और अभियान की निगरानी करने वाले अधिकारी की पहचान की जाए।

लैंगिक हिंसा पर संदेशों को अन्य प्रासंगिक और आपस में जुड़े मुद्दों के साथ जोड़कर संदेशों को **जोड़ें/ विस्तार** करें। राज्य के विशिष्ट मुद्दों और संदेशों की पहचान की जानी चाहिए और इन्हें भावी अभियानों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि समुदायों को समझने और उनसे जुड़ने के लिए इसे और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके।

समुदाय के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं के लिए सोशल मीडिया, वरिष्ठ आयु वर्ग के लिए लोक मीडिया जैसे आयु- का उपयोग करके स्थानीय रूप से प्रासंगिक और संबंधित संदेशों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विकसित **उपयुक्त लोकप्रिय माध्यमों/प्रारूपों को पहचाने और आईईसी/एसबीसीसी सामग्रियों को अपनाएं**। स्थानों और सामुदायिक प्रोफ़ाइल की पहुंच के आधार पर माध्यम तय किया जाना चाहिए।

सलाह के लिए अभियान अम्बेसेडर

विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, खेल/फिल्म/लोक/रंगमंच/कला) की लोकप्रिय हस्तियों और राज्य/क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान की जानी चाहिए। अभियान के समर्थन और प्रचार के लिए ऐसे स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करने से समुदाय की धारणा में सकारात्मक और अधिक स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। समुदाय/ग्राम स्तर पर भी स्थानीय धार्मिक गुरुओं सहित प्रभावशाली लोगों को सामुदायिक बैठकों या अन्य सभाओं और समारोहों के दौरान लैंगिक हिंसा से संबंधित जानकारी देने के लिए शामिल किया जाना चाहिए जो समुदाय को प्रेरित करने और एकजुट करने और लैंगिक हिंसा आधारित मुद्दों और अन्य जेंडर के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद करेंगे।

परस्पर सामंजस्य द्वारा जुड़ाव

संबंधित विभागों की गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें एसआरएलएम की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि अगले दौर में अभियान में शामिल होने के लिए अधिक हितधारकों को लक्षित किया जा सके।

5.2.3 एनआरएलएम-एनएमएमयू के लिए सुझाव

अभियान की गतिविधियों और रिपोर्टिंग के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए अभियान की काफी पहले से तैयारी की जानी चाहिए। घरेलू हिंसा पर काम करने के लिए सेवा प्रदायगी को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के भाग के रूप में अभियान की तैयारी और संबंधित विभागों के साथ बैठक बुलाने के बारे में राज्यवार चर्चा की जानी चाहिए।

अभियान प्रभावी उत्पादकता और अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्य, विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों/सीएसओ और अन्य समूहों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इन विभिन्न संगठनों के आपस में मिलकर काम करने के लिए कार्यान्वयन रणनीति का खाका पहले से ही विकसित किया जाना चाहिए।

निरंतरता और गतिशीलता

वर्ष भर नियमित अंतराल पर अभियान के पूर्व और पश्चात की गतिविधियों के लिए कार्य योजना/निर्देश। यह अभियान के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने और समुदाय पर पड़े प्रभाव को बनाए रखने में मदद करेगा। त्रैमासिक कार्यान्वयन और अभियान की कुछ प्रमुख गतिविधियों को दोहराना सहायक होगा और संबंधित राज्यों को तदनुसार अपनी कार्य-योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ गतिविधियों का परस्पर सामंजस्य

एनआरएलएम-एनएमएमयू की वार्षिक कार्य-योजना में अभियान को शामिल करने के साथ-साथ अभियान के अगले दौर से पहले संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। लैंगिक हिंसा पर गतिविधियों का परस्पर सामंजस्य करने की भी अनुशंसा की जाती है। यह जवाबदेही को साझा करने में मदद करेगा और इस प्रकार अभियान के प्रभाव और परिणामों का पता लगाएगा और कार्यक्षेत्र का विस्तार करेगा।

***

अनुलग्नक

अध्ययन स्थल

राष्ट्रीय जेंडर अभियान के गुणात्मक मूल्यांकन के अध्ययन स्थल			
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**जिला**	**ब्लॉक**	**ग्राम**
आंध्र प्रदेश	प्रकाशम और गुंटूर	त्रिपुरांथकम और चेब्रोल	त्रिपुरांथकम और चेब्रोल
बिहार	मुजफ्फरपुर और नालंदा	मीनापुर और राजगीर	मिल्की और नहुब
छत्तीसगढ़	गरियाबनाद और धमतरी	छूरा और कुरुद	पटसिओनी और बोरझरा
झारखंड	पलामू और हजारीबाग	चैनपुर और बरही	सल्टुवा और कोनरा
मध्य प्रदेश	डिंडोरी और मंडला	समनापुर और निवास	अंगवार और हटीतारा रैयत
मेघालय	पश्चिम गारो पर्वत और पूर्वी खासी पर्वत	डालू और मावक्यूनरू	पुरखसिया और उमखोई
ओडिशा	देवगढ़ और जगतसिंहपुर	टाइलीबनी और तीर्थोल	बरघाट और गरम
तमिलनाडु	सलेम और पेरम्बलूर	अयोधीपट्टिनम और अलाथुर	त्रिपुरांथकम और नक्कासलेम

उत्तर प्रदेश	हमीरपुर और बदायूं	कुरारा और सलारपुर	कुतुबपुर और घाटपुरी
पुडुचेरी	पुडुचेरी और कराईकल	अरियानकुप्पम और कराईकल	वीरमपट्टी और तिरुवेंकटपुरम

अध्ययन उपकरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान का आंकलन

एसआरएलएम कार्यक्रम के अधिकारियों - राज्य/जिला/ब्लॉक/सीएलएफ स्तर के लिए आईडीआई अनुसूची

एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों - राज्य/जिला/ब्लॉक/सीएलएफ स्तर की सूचित सहमति

अभिवादन! **एनआरएलएम-जेंडर संसाधन केंद्र/आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई** की ओर से, सीएमएस से हम, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान शोध अध्ययन कर रहे हैं। हम भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय जेंडर अभियान में शामिल राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएलएफ स्तर के एसआरएलएम कार्यक्रम अधिकारियों के बीच सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस साक्षात्कार में भाग लें। साक्षात्कार को पूरा होने में लगभग 25-30 मिनट लगेंगे। इस शोध अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक है। इस शोध में भाग लेने से आपको कोई नुक्सान नहीं होगा। चर्चा की ऑडियो रिकार्डिंग की जाएगी। सूचित परिणाम पूरी तरह अज्ञात रहेंगे; यानी, इस अध्ययन में शामिल कोई भी व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकेगा। कृपया नोट करें कि आप किसी भी समय अध्ययन में भाग लेने की अपनी प्रतिबद्धता को वापस ले सकते हैं। आपको किसी भी स्तर पर इस शोध से हटने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्तिगत पहचानकर्ता (जैसे नाम और मोबाइल नंबर) किसी के साथ या रिपोर्ट में कहीं भी साझा नहीं किया जाएगा।

उत्तरदाता का नाम: ....

उत्तरदाता का पदनाम: ....

राज्य: ....

ज़िला: ....

ब्लॉक: ....

मोबाइल सं.: ....

प्र.सं.	प्रश्न
1	राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान आपके राज्य/जिला/ब्लॉक में किन गतिविधियों की योजना बनाई गई और शुरू की गईं? क्या आपने लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल की जा रही जेंडर अभियान गतिविधियों से परे भी कुछ नए रूप से योजना बनाई थी? यदि हां, तो क्या?
2	क्या अभियान विशिष्ट स्थानों या समुदायों पर केंद्रित था, या इसमें सभी शामिल थे? अगर हां, तो ये कौन से थे?
3	लक्षित स्थानों और जनसंख्या की पहचान कैसे की गई? **जांचें**: क. क्या अभियान किसी विशिष्ट समूह को लक्षित किया गया था? यदि हां, तो क्यों? ख. क्या पूरे राज्य/जिला/ब्लॉक में अभियान चलाया जा रहा था।
4	अभियान में किन-किन लोगों ने भाग लिया? [**जांच**: भागीदारी-महिलाएं; पुरुष; युवा; किशोर; स्कूल/कॉलेज के छात्र]
5	क. राष्ट्रीय जेंडर अभियान में संबंधित विभागों (एमओएचएफडब्ल्यू, एमडब्ल्यूसीडी, पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि) ने कैसे भाग लिया? ख. राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान संबंधित विभागों द्वारा किन गतिविधियों की योजना बनाई गई और शुरू की गईं?
6	लक्षित आबादी के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान कितना प्रासंगिक था?
7	सभी विभिन्न एसबीसीसी/ आईईसी सामग्रियों का क्या उपयोग किया गया था और आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये सामग्री लक्षित श्रोताओं तक पहुंचे?
8	क्या आपका कोई जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) है? जीबीवी का समाधान करने के लिए जीआरसी और सामाजिक कार्य समिति (एसएसी) सामूहिक रूप से कैसे काम कर रहे हैं?
9	आपके राज्य/जिला/ब्लॉक में अभियान के कार्यान्वयन के दौरान कौन से सहायक कारक देखे गए हैं?
10	आपके राज्य/जिला/ब्लॉक में अभियान के कार्यान्वयन के दौरान किन चुनौतियों, यदि कोई हों, का सामना करना पड़ा?
11	लैंगिक हिंसा पर काम करने के लिए चलाए गए अभियान से सामाजिक कार्य समिति(यां) (एसएसी) के कुछ कार्यकलाप/ गतिविधियां क्या हैं?
12	आपके अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के विशिष्ट घटक कौन से हैं?
13	आपकी राय में अभियान की शक्तियां क्या है?
14	आपकी राय में अभियान की कमजोरियां क्या हैं?
15	वे संभावित कारण कौन से हैं जो अभियान को धीमा कर सकते हैं?
16	आपकी राय में सीखे गए 'नए' सबक क्या हैं और जेंडर अभियान के परिणाम अधिक टिकाऊ कैसे होते हैं?
17	क्या आप वार्षिक कार्य-योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं?
18	भावी अभियान दौरों और भावी लैंगिक हिंसा का समाधान करने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं?

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान का आंकलन

सामुदायिक स्तर पर एसएचजी सदस्यों, महिलाओं और पुरुषों के लिए एफजीडी अनुसूची

सामुदायिक स्तर पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/ महिलाओं और पुरुषों की सूचित सहमति

अभिवादन! **एनआरएलएम/आईडब्ल्यूडब्ल्यूएजीई** की ओर से, सीएमएस से हम, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए राष्ट्रीय जेंडर अभियान के दौरान समूह चर्चा कर रहे हैं। भारत के कई राज्यों में समूह चर्चा आयोजित की जा रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस चर्चा में भाग लें। चर्चा को पूरा होने में लगभग 40-45 मिनट लगेंगे। इस शोध अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक है। इस चर्चा में भाग लेने से आपको कोई नुक्सान नहीं होगा। चर्चा की ऑडियो रिकार्डिंग की जाएगी। इस अध्ययन में शामिल कोई भी व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचान सकता है। कृपया नोट करें कि आप किसी भी समय अध्ययन में भाग लेने की अपनी प्रतिबद्धता को वापस ले सकते हैं। आपको किसी भी स्तर पर इस शोध से हटने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्तिगत पहचान, जैसे कि नाम और मोबाइल नंबर किसी के साथ या रिपोर्ट में कहीं भी साझा नहीं किया जाएगा।

स्थान का विवरण: राज्य: ________________ जिला: ________________ ग्राम: ________________

प्रतिभागियों की संख्या: ___________________

प्रतिभागियों की आयु सीमा:_________________

ग्रुप प्रोफाइल (एसएचजी सदस्य/पीआरआई सदस्य/एफएलडब्ल्यू/स्कूल शिक्षक/युवा): ____________________

प्रतिभागियों का जेंडर: (पुरुष/महिला/दोनों)

मध्यस्थ का नाम: ______________________________

नोट लेने वाले का नाम: ______________________________

एफजीडी की तिथि: ________________

प्र.सं	प्रश्न
1	पिछले 1 महीने में, आपके ग्राम/एसएचजी या सामुदायिक स्तर पर जेंडर आधारित भेदभाव और लैंगिक हिंसा के खिलाफ कौन-कौन सी गतिविधियां की हैं *(**जांचें**: समूह बैठक, नारेबाजी, पुलिस और कानूनी सहायता के साथ बैठक, कैंडल के साथ नाइट वॉक), लैंगिक हिंसा के खिलाफ शपथ लेना, जेंडर चैंपियनों का अभिनंदन आदि)* आप सभी को इस अभियान के बारे में कैसे पता चला? अभियान के दौरान आपके ग्राम/एसएचजी या सामुदायिक स्तर पर किन गतिविधियों को दोहराया गया और क्यों? पुनरावृत्ति का परिणाम क्या रहा?
2	अभियान के दौरान कौन-कौन सी आईईसी सामग्री का उपयोग किया गया/ गतिविधियों का आयोजन किया गया? (**जांचें**: पोस्टर, भित्ति-चित्रकला, फिल्म, रैलियों, सामुदायिक रेडियो, समाचार-पत्र, ब्लैकबोर्ड इत्यादि जैसे अभियान के लिए आईईसी सामग्री का उपयोग किया गया)
3	इन आईईसी गतिविधियों के माध्यम से कौन से मुद्दे उठाए गए/संदेश दिए गए?
4	आपने अभियान के दौरान उठाए गए मुद्दों को अपने लिए/अपने समुदाय के लिए कितना प्रासंगिक पाया? आप इन संदेशों से किस हद तक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं?

5	कोई विशिष्ट संदेश, जो आपको बहुत रोचक/महत्वपूर्ण लगा?
6	क्या आपके लिए/आपके समुदाय के साथ इन मुद्दों पर जानकारी साझा करने का कोई बेहतर तरीका है?
7	अभियान में आपकी भूमिका और भागीदारी क्या रही?
8	क्या आप अभियान के दौरान दिए गए प्रमुख संदेशों को याद कर सकते हैं और बता सकते हैं?
9	आप अभियान के दौरान प्राप्त जानकारी पर कैसे कार्य/उपयोग करने का इरादा रखते हैं?
10	क्या आपने अभियान के दौरान प्राप्त संदेशों पर चर्चा की है?
11	आपके अनुसार राष्ट्रीय जेंडर अभियान के विशिष्ट घटक क्या हैं?
12	आपकी राय में अभियान की शक्तियां क्या है?
13	आपकी राय में अभियान की कमजोरियां क्या हैं?
14	वे संभावित कारण क्या हैं जो अभियान को धीमा कर सकते हैं
15	क्या आपको लगता है कि इस अभियान को दोहराने की जरूरत है? यदि हां, तो क्यों? अभियान के भावी दौरों के लिए कोई भी 'नया' संदेश/मुद्दा, जो इस दौर में शामिल/ कवर नहीं किया गया हो। .. और किन संदेशों/मुद्दों को अगले दौर में भी दोहराया जाना चाहिए?

सर्वेक्षण अनुसूची

जेंडर आधारित भेदभाव के खिलाफ डीएवाई-एनआरएलएम का राष्ट्रीय अभियान

थीम वर्ष-1: लैंगिक हिंसा

क. पहचान

1 राज्य: (स्व-आबादी)

2 जिला: (स्व-आबादी)

3 ब्लॉक (यदि वीओ किसी सीएलएफ से जुड़ा नहीं है)

4 समूह स्तरीय संघ: (स्व-आबादी)

5 ग्राम संगठन: (ड्रॉप डाउन सूची से चुनें)

6 प्रवेश की तिथि: (कैलेंडर)

ख. सहमति:

मैं स्वेच्छा से इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमति देता हूँ और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार डेटा और जानकारी प्रदान करूंगा।

भाग लेने के लिए सहमति

ग. पृष्ठभूमि

प्रश्न सं.	प्रश्न/फ़िल्टर	कोडिंग/उत्तर
1	आपकी जन्मतिथि क्या है? आप अपने पिछले जन्मदिन पर कितने साल के थे?	जन्मतिथि... दि | न | मा | ह | व | . | . | र्ष आयु (पूर्ण वर्षों में)......
2	जेंडर	पुरुष .... 1 महिला 2
3	आप कब से एसएचजी के सदस्य हैं?	वर्षों की संख्या...........

		(यदि एक वर्ष से कम हो तो "00" लिखें)

घ. लैंगिक मानदंडों पर अवधारणा

प्रश्न सं.	प्रश्न/फ़िल्टर	कोडिंग/ उत्तर
4	अब हम कुछ सामाजिक पहलुओं के बारे में आपके विचार जानेंगे। कृपया बयान को सुनें और अपनी राय दें कि आप 'सहमत' हैं या 'असहमत'। (*साक्षात्कारकर्ता के लिए टिप्पणी:* कृपया बयानों को एक-एक करके पढ़ें और अपने विचार दर्ज करें कि वे इससे 'सहमत' हैं या 'असहमत')	
4.1	स्त्री होने से पुरुष होना अच्छा है।	सहमत .... 1 असहमत 2
4.2	लड़कियों की तुलना में लड़कों को शिक्षा के अधिक अवसर और संसाधन प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।	सहमत .... 1 असहमत 2
4.3	लड़कों को पहले खाना खिलाना चाहिए और लड़कियों की तुलना में अधिक खाना देना चाहिए।	सहमत .... 1 असहमत 2
4.4	पति को अपनी पत्नी से अधिक शिक्षित होना चाहिए।	सहमत .... 1 असहमत 2
4.5	परिवार के सम्मान की रक्षा करना महिला/ लड़की की जिम्मेदारी होती है	सहमत .... 1 असहमत 2
4.6	महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति रख सकती हैं	सहमत .... 1 असहमत 2
4.7	लैंगिक हिंसा का मुद्दा मेरे समुदाय के लिए प्रासंगिक नहीं है	सहमत .... 1 असहमत 2

4.8	जेंडर आधारित भेदभाव वृद्ध, निराश्रित, विकलांग/दिव्यांग सदस्यों, एकल महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो खतरनाक व्यवसायों में शामिल हैं, मानव तस्करी, डायन शिकार, एचआईवी पॉजिटिव आदि को भी प्रभावित करता है।	सहमत .... 1 असहमत 2

ड. महिला अधिकारिता, निर्णय लेना और एजेंसी

प्र.सं.	**प्रश्न/फ़िल्टर**	**कोडिंग/ उत्तर**
5. निर्णय लेना		
5.1	यह कौन तय करता है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसका उपयोग कैसे किया जाएगा: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, या आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से?	केवल उत्तरदाता .... 1 केवल पति/साथी .... 2 उत्तरदाता और पति/साथी............................... संयुक्त रूप से .... 3 अन्य (निर्दिष्ट करें................ 4
5.2	क्या आप बताएंगे कि आप जो पैसा कमाते हैं वह आपके पति/साथी की कमाई से अधिक है, वह जितना कमाते हैं उससे कम है, या लगभग उतना ही है?	पति/साथी से ज्यादा .... 1 पति/साथी से कम ...... 2 उनके समान .... 3 पति/साथी की कोई कमाई नहीं है.................................. 4 पता नहीं 98
5.3	यह कौन तय करता है कि आपके पति/साथी की कमाई का उपयोग कैसे किया जाएगा: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, या आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से?	केवल उत्तरदाता .... 1 केवल पति/साथी .... 2 उत्तरदाता और पति/साथी संयुक्त रूप से .... 3 पति/साथी की कोई कमाई नहीं है .... 4 अन्य (निर्दिष्ट करें)........... 5

5.4	आमतौर पर आपके स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय कौन लेता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता .... 1 केवल पति/साथी .... 2 उत्तरदाता और पति/साथी संयुक्त रूप से .... 3 कोई अन्य .... 4 अन्य (निर्दिष्ट करें).......... 5
5.5	आम तौर पर प्रमुख घरेलू खरीदारी के बारे में कौन निर्णय लेता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता .... 1 केवल पति/साथी .... 2 उत्तरदाता और पति/साथी संयुक्त रूप से .... 3 कोई अन्य .... 4 अन्य (निर्दिष्ट करें).......... 5
5.6	आमतौर पर आपके परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के बारे में निर्णय कौन करता है: मुख्य रूप से आप, मुख्य रूप से आपके पति/साथी, आप और आपके पति/साथी संयुक्त रूप से, या कोई और?	केवल उत्तरदाता .... 1 केवल पति/साथी .... 2 उत्तरदाता और पति/साथी संयुक्त रूप से .... 3 कोई अन्य .... 4 अन्य (निर्दिष्ट करें).......... 5
5.7	क्या आपके पास अपना कोई पैसा है जिसे आप अकेले तय कर सकते हैं कि कैसे उपयोग करना है?	हां .... 1 नहीं 0
6. आवागमन		

6.1	क्या आपको आमतौर पर अकेले बाजार जाने की अनुमति है, केवल किसी और के साथ, या बिल्कुल नहीं?	अकेले .... किसी के साथ ही .... बिल्कुल नहीं	1 2 3
6.2	क्या आपको आम तौर पर अकेले स्वास्थ्य केंद्र जाने की अनुमति है, केवल किसी और के साथ, या बिल्कुल नहीं?	अकेले .... किसी के साथ ही .... बिल्कुल नहीं	1 2 3
6.3	क्या आपको आमतौर पर अकेले बाहर जाने की अनुमति है, केवल किसी और के साथ, या बिल्कुल नहीं?	अकेले .... किसी के साथ ही .... बिल्कुल नहीं	1 2 3
6.4	आप अपनी बेटी को नौकरी पाने के लिए कितनी दूर जाने की अनुमति देंगे?	केवल घर बैठे काम .... पैरा के भीतर .... ग्राम के भीतर .... ब्लॉक के भीतर .... जिले के भीतर .... दूसरे जिले तक .... बड़ा शहर .... विदेश	1 2 3 4 5 6 7 8
7. सामाजिक नेटवर्क और नेतृत्व			
7.1	क्या आपने पिछले 12 महीनों में किसी सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया है या उसमें भाग लिया है?	हां .... नहीं	1 0
7.2	क्या आप अक्सर पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं?	हां	1

		नहीं	0
7.3	क्या आप व्यक्तिगत/ सरकारी कार्य के लिए अक्सर किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं?	हां .... नहीं	1 0
8.	**आपकी राय में, निम्नलिखित परिस्थितियों में पति/साथी का अपनी पत्नी को मारना या पीटना न्यायोचित है:**		
8.1	अगर वह उसे बताए बिना बाहर जाती है?	हां .... नहीं .... कह नहीं सकते	1 0 98
8.2	अगर वह घर या बच्चों की उपेक्षा करती है?	हां .... नहीं .... कह नहीं सकते	1 0 98
8.3	अगर वह उससे बहस करती है?	हां .... नहीं .... कह नहीं सकते	1 0 98
8.4	अगर वह उसके साथ सहवास करने से मना करती है?	हां .... नहीं .... कह नहीं सकते	1 0 98
8.5	अगर वह ठीक से खाना नहीं बनाती है?	हां .... नहीं .... कह नहीं सकते	1 0 98
8.6	यदि वह उस पर बेवफा होने का संदेह करता है?		

		हां	1
		नहीं	0
		कह नहीं सकते	98
8.7	यदि वह अपने ससुराल वालों का अनादर करती है?	हां	1
		नहीं	0
		कह नहीं सकते	98

च. सामाजिक कार्रवाई और कार्यकलापों में भागीदारी

प्र.सं.	**प्रश्न/फ़िल्टर**	**कोडिंग/ उत्तर**		
9.	यदि लैंगिक हिंसा होती है, तो किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? ***(यदि एकाधिक उत्तर हों, तो सभी को रिकॉर्ड करें)***	**की जाने वाली कार्रवाई**	**हां**	**न हीं**
		इसे अपने तक रखें/अनदेखा करें ...	1	0
		परिवार की केवल महिला सदस्यों के साथ ही चर्चा करें	1	0
		परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के साथ ही चर्चा करें	1	0
		एसएचजी/वीओ/सीएलएफ साथियों (एसएसी सहित) से संपर्क करें	1	0
		करीबी दोस्तों के साथ साझा करें	1	0
		हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें	1	0
		पुलिस स्टेशन/उपयुक्त प्राधिकारियों से शिकायत करें	1	0
		कोई अन्य, निर्दिष्ट करें	1	0

10	पिछले एक महीने के दौरान, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएचजी द्वारा कोई गतिविधि की गई?	हां .... 1 नहीं 0
11	यदि हां, तो ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गईं? **(यदि प्र.10 के लिए नहीं है, तो इसे छोड़ दें)**	☐☐ संख्या ....
12	यदि हां, तो कृपया उन सभी गतिविधियों का चयन करें, जो की गई थीं **(यदि प्र.10 के लिए नहीं, तो इसे छोड़ दें)** ***(एकाधिक उत्तर संभव हो, तो सभी उल्लिखित रिकॉर्ड करें)***	

गतिविधि	**हां**	**नहीं**
समूह बैठक	1	0
नारेबाजी	1	0
रैली	1	0
रंगोली बनाना	1	0
फिल्म/मूवी दिखाना	1	0
दीवार पर लिखना	1	0
पुलिस और कानूनी सलाहकर्ता के साथ बैठक	1	0
कैंडल के साथ नाइट वॉक..	1	0
लैंगिक हिंसा के खिलाफ शपथ	1	0
जेंडर चैम्पियनों का अभिनंदन	1	0
ग्राम संगठन आम सभा	1	0
जेंडर फोरम बैठक...	1	0
कोई अन्य, निर्दिष्ट करें ____	1	0

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

आजीविका
AAJEEVIKA

NAYI CHETNA
Pahal Badlaav Ki

IWWAGE
Institute for What Works to Advance Gender Equality

LEAD
LEVERAGING EVIDENCE FOR ACCESS AND DEVELOPMENT
KREA UNIVERSITY